कार्यालय : सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, अयोध्या सम्भाग, अयोध्या।

पत्राक– 4262 / स0खा0नि0 / स्वी0कक्ष / एन एफ एस ए / हैण्ड0परि0 / टेण्डर / 2026–27, दिनांक मार्च 11/2026

ई–टेण्डर निविदा सूचना

शासनादेश सख्या 380 / 29–6–2024 / ई–6099 / 2641 / 2020, दिनांक 26.02.2024, के क्रम में आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ के कार्यालय के पत्राक 956 / आ0वि0शा0 / हैण्ड0परि0 / सिंगल स्टेज / आर0एफ0पी0 / 2023, दिनांक 29.02.2024 के द्वारा सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्थान्तर्गत शासन स्तर से निर्गत की गयी नयी आर0एफ0पी0 / टेण्डर की शर्तों में निर्दिष्ट प्राविधानो के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 व 2027–28 के लिए अयोध्या संभाग के जनपद अयोध्या, अम्बेडकरनगर, सुलतानपुर, बाराबंकी व अमेठी के 68 ब्लाको / नगरीय क्षेत्रो हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजनान्तर्गत खाद्यान्न / चीनी के सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी के अन्तर्गत हैण्डलिग व परिवहन कार्य हेतु, ठेकेदारो के चयन हेतु ई–टेण्डर के माध्यम से दिनांक 02.04.2026 के अपरान्ह 02:00 बजे तक निविदाए आमत्रित की जाती है। कार्य का विवरण निम्नवत है –

प्रत्येक ब्लॉक / नगरीय क्षेत्र हेतु सिंगल स्टेज परिवहन व्यवस्था अन्तर्गत एक ठेकेदार द्वारा भारतीय खाद्य निगम के निर्दिष्ट गोदामो से एन0एफ0एस0ए0 योजना का खाद्यान्न परिवहन कराकर उचित दर विकेताओं की दुकान तक निर्धारित रूट से पहुँचाया जाएगा एव उचित दर विकेताओ की दुकान पर तौल कराकर अनलोडिग का कार्य कराया जाएगा।

उपरोक्त निविदाए शासनादेश सख्या 380 / 29–6–2024 / ई–6099 / 2641 / 2020, दिनांक 26.02.2024, के क्रम मे आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ के कार्यालय के पत्राक 956 / आ0वि0शा0 / हैण्ड0परि0 / सिंगल स्टेज / आर0एफ0पी0 / 2023, दिनांक 29.02.2024 द्वारा जारी दिशा निर्देशों एवं निहित प्राविधानुसार **कार्य की अवधि कार्यादेश निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष की होगी।**

उपरोक्तानुसार कार्यो हेतु निविदाए जनपदो हेतु ब्लाकवार / नगरीय क्षेत्रवार प्राप्त की जायेगी। निर्धारित निविदा प्रपत्र ,मूल्य, धरोहर धनराशि / निविदा विशिष्टीकरण निविदा खुलने की तिथि, निविदा की शर्तें एवं अन्य सम्बन्धित जानकारी https://etender.up.nic.in व विभागीय वेबसाइट http://fcs.up.gov.in से प्राप्त की जा सकती है। निविदा की किसी भी शर्त में परिवर्तन तथा शुद्धि पत्र आदि की सूचना केवल ई–टेण्डर वेबसाइट https://etender.up.nic.in पर उपलब्ध होगे।

निविदा प्रपत्र ऑनलाइन वेबसाइट https://etender.up.nic.in पर दिनांक 02.04.2026 के अपरान्ह 02:00 बजे तक लोड की जायेगी। ठेकेदारों के द्वारा ई–टेण्डर के माध्यम से निविदाएं दिनांक 12.03.2026 के पूर्वान्ह 09:00 बजे से दिनाक 02.04.2026 के अपरान्ह 02:00 बजे तक अपलोड की जा सकती है। टेक्निकल निविदा निर्धारित तिथि 02.04.2026 के अपरान्ह 03:00 बजे गठित ई–निविदा कमेटी के द्वारा खोली जायेगी। उक्त निविदा की आर0एफ0पी0 / शर्तों में उल्लिखित प्राविधानों के सम्बन्ध में निविदादाताओं के Quries/Doubts के निवारणार्थ दिनांक 16.03.2026 को अपरान्ह 03:00 बजे सम्भागीय खाद्य नियत्रंक कार्यालय में प्री–बिड बैठक आयोजित होगी।

प्रत्येक कार्य हेतु **निविदा प्रपत्र शुल्क रू0 500 + 90**(G.S.T.) कुल रू0 590 / – (रूपये पांच सौ नब्बे मात्र) आर0टी0जी0एस0 / एन0ई0एफ0टी / ऑन लाइन जमा किया जायेगा। प्रत्येक ए–श्रेणी के ठेकेदार हेतु प्रत्येक केन्द्र(ब्लाक) के लिए **धरोहर धनराशिरू0 1,00,000 / –** तथा **बी–श्रेणी** के ठेकेदार को प्रत्येक केन्द्र(ब्लाक) के लिए धरोहर धनराशिरू0 60,000 / – निर्धारित की गयी है। उपरोक्तानुसार **निविदा प्रपत्र शुल्क व धरोहर धनराशि** आर0टी0जी0एस0 / एन0ई0एफ0टी / ऑन लाइन, निम्न विवरण के अनुसार बैंक खाता में जमा किया जायेगा :–

A/C Name : SENIOR REGIONAL ACCOUNT OFFICER(FOOD), FAIZABAD, A/C No 381801000001000
IFSC Code :IOBA0003818 Bank Name &Address : INDIAN OVERSEAS BANK , AYODHYA

नगद तथा चेक के माध्यम से प्रस्तुत **धनराशि स्वीकार नही होगी** तथा बिना **निविदा शुल्क व धरोहर धनराशि** किसी भी निविदा पर कोई विचार **नही किया जायेगा। इच्छुक ठेकेदारों को टेण्डर में प्रतिभाग करने हेतु यू0पी0** इलेक्ट्रानिक्स लि0 मे नियमानुसार **पंजीयन शुल्क जमा कर रजिस्ट्रेशन कराना होगा तथा जमा पंजीयन शुल्क की** रसीद सलग्न करना **आवश्यक होगा।**

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी हैण्डलिंग / परिवहन कार्य हेतु टेण्डर निविदा प्रपत्र "1" पर Technical Bid एवं बी0ओ0क्यू0 (BOQ) पर Financial Bid ब्लाकवार / नगरीय क्षेत्रों हेतु पृथक–पृथक दी जायेगी। निविदा प्रपत्रों में किसी भी प्रकार की कटिंग / ओवर राइटिंग होने पर निविदा स्वीकार नही की जायेगी। तकनीकी रूप से अर्ह निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा पर विचार किया जायेगा।

निर्धारित तिथि एवं समय के उपरान्त अपलोड की जाने वाली निविदाएं अस्वीकृत मानी जायेंगी। **टेण्डर फार्म में निर्धारित नियम, शर्तें तथा उक्त के अनुरूप टेण्डर वेबसाइट से डाउनलोड की गयी निविदा** सूचना के अनुसार ही **स्वीकार की जायेगी। किसी भी निविदा पर अन्तिम निर्णय लिये जाने का अधिकार** सम्भागीय खाद्य नियत्रक, **अयोध्या संभाग, अयोध्या का होगा।**

क्रमश.....02...पर

निविदा सम्बन्धी प्रपत्रों को पी0डी0एफ0 फार्म में स्कैन कर सुस्पष्ट व पठनीय प्रति ही अपलोड की जाए। निविदा प्रपत्र अपठनीय होने पर तकनीकी जॉच में अस्वीकृत कर दिया जाएगा। ठेकेदारों द्वारा निविदा डालते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उसके द्वारा अपलोड की गयी निविदा पूर्ण रूप से अपलोड हो गयी है। अधूरी निविदा प्रपत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

एन0एफ0एस0ए0 अधिनियम के अन्तर्गत सिगल स्टेज हैण्डलिंग/परिवहन कार्य हेतु ब्लॉकों/नगरीय क्षेत्रों का विवरण निम्नवत है–

क्रम	जनपद	विकास खण्ड/नगरीय क्षेत्र	आवंटन (कु0 में)
1	2	3	4
1	अयोध्या	अयोध्या नगर	6301.50
2	अयोध्या	मसौधा	6290.50
3	अयोध्या	सोहावल	6251.00
4	अयोध्या	तारून	6044.00
5	अयोध्या	बीकापुर	6024.00
6	अयोध्या	गोशाईगंज	6062.50
7	अयोध्या	पूराबाजार	6021.50
8	अयोध्या	अमानीगंज	6224.50
9	अयोध्या	मिल्कीपुर	6229.00
10	अयोध्या	हैरिंग्टनगंज	6196.50
11	अयोध्या	मवई	6564.50
12	अयोध्या	रूदौली	6074.00
13	अयोध्या	पूरेकाजी	6013.00
14	अयोध्या	मयाबाजार	6285.00
15	अयोध्या	कुचेरा	6434.50
16	अम्बेडकरनगर	अकबरपुर (1)	7743.50
17	अम्बेडकरनगर	अकबरपुर (2)	7743.50
18	अम्बेडकरनगर	कटेहरी	8483.00
19	अम्बेडकरनगर	भीटी	7064.00
20	अम्बेडकरनगर	टाण्डा (1)	7060.75
21	अम्बेडकरनगर	टाण्डा (2)	7060.75
22	अम्बेडकरनगर	बसखारी	8978.00
23	अम्बेडकरनगर	रामनगर	9139.50
24	अम्बेडकरनगर	जहागीरगंज	8295.00
25	अम्बेडकरनगर	जलालपुर (1)	6441.00
26	अम्बेडकरनगर	जलालपुर (2)	6441.00
27	अम्बेडकरनगर	भियाव	8255.00
28	सुलतानपुर	अखण्डनगर	6989.44
29	सुलतानपुर	कुडवार	9382.46
30	सुलतानपुर	कूरेभार	9305.874
31	सुलतानपुर	करौंदीकला	9016.78
32	सुलतानपुर	कादीपुर	7134.9
33	सुलतानपुर	जयसिंहपुर	8875.86
34	सुलतानपुर	दूबेपुर प्रथम	7472.655
35	सुलतानपुर	दूबेपुर द्वितीय	6906.51
36	सुलतानपुर	दोस्तपुर	6456.27
37	सुलतानपुर	धनपतगंज	7614.88
38	सुलतानपुर	प्रतापपुर कमैचा	6427.35
39	सुलतानपुर	बल्दीराय	8284.33
40	सुलतानपुर	भदैया	7139.93
41	सुलतानपुर	लम्भुआ	8482.50
42	बाराबंकी	कुर्सी	7610.90
43	बाराबंकी	टिकैतनगर	8419.96
44	बाराबंकी	त्रिवेदीगंज	7478.86

45	बाराबकी	दरियाबाद	9053.60
46	बाराबंकी	देवा	9909.80
47	बाराबकी	फतेहपुर	7584.25
48	बाराबकी	फतेहपुर द्वितीय	7619.85
49	बाराबकी	बाराबकी	7041.65
50	बाराबकी	बाराबकी द्वितीय	6424.20
51	बाराबकी	बुढ़वल	8642.20
52	बाराबकी	भिटरिया	9322.25
53	बाराबकी	सफदरगज	8644.05
54	बाराबकी	सिद्धौर	7522.70
55	बाराबकी	सिद्धौर द्वितीय	7164.68
56	बाराबकी	सिरौलीगोसपुर	9263.10
57	बाराबकी	सूरतगज	10818.80
58	बाराबकी	हरख	10626.85
59	बाराबकी	हैदरगढ़	7770.52
60	अमेठी	गौरीगज	7914.50
61	अमेठी	अमेठी	8907.50
62	अमेठी	जगदीशपुर	8308.00
63	अमेठी	जामो	7978.50
64	अमेठी	तिलोई	8952.00
65	अमेठी	भादर	9311.50
66	अमेठी	मुसाफिरखाना	6628.50
67	अमेठी	शुकुलबाजार	6664.00
68	अमेठी	सिंहपुर	8948.50

सफल निविदादाता को परिशिष्ट VII में सम्बन्धित ब्लॉक/नगरीय क्षेत्रों हेतु उल्लिखित संख्या एवं क्षमता के अनुसार बड़े एवं छोटे वाहन लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही सम्बन्धित निविदादाता को निविदा स्वीकृत होने पर शासन द्वारा जारी सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी कार्य हेतु निविदा की शर्तों में उल्लिखित विभिन्न निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करना होगा तथा वांछित सख्या में छोटे एवं बड़े वाहनों को सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी हेतु उपलब्ध कराना होगा।

नोट टेक्निकल बिड के साथ यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स लि0 में पंजीयन का प्रमाण तथा चेकलिस्ट के अनुसार समस्त वांछित प्रपत्र आवश्यक रूप से संलग्न किया जाय।

(श्रीकृष्ण)
सभागीय खाद्य नियन्त्रक,
अयोध्या संभाग, अयोध्या।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
2– आयुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
3– जिलाधिकारी, अयोध्या, अम्बेडकरनगर, सुल्तानपुर, बाराबंकी एवं अमेठी।
4– समस्त सम्भागीय खाद्य नियत्रक, उत्तर प्रदेश।
5– उपायुक्त(खाद्य), अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
6– वरिष्ठ सम्भागीय वित्त एवं लेखाधिकारी (खाद्य), अयोध्या सम्भाग, अयोध्या।
7– समस्त जिला खाद्य विपणन अधिकारी/जिला पूर्ति अधिकारी, अयोध्या सम्भाग को इस निर्देश के साथ कि व्यापक प्रचार–प्रसार कराते हुए अपने जनपद में कार्यरत समस्त ठेकेदारों के साथ साथ जनपद के अन्य समस्त विभागों में कार्यरत ठेकेदारो को भी विभाग में पजीकरण कराकर सम्बन्धित कार्य किये जाने हेतु प्रोत्साहित करते हुए निविदा में प्रतिभाग किये जाने के संदर्भ में अन्य विभागों से सम्पर्क स्थापित कर, उपरोक्तानुसार शासन/खाद्यायुक्त, उ0प्र0 के समस्त संदर्भित पत्र एव शर्तें, नोटिस बोर्ड पर चस्पा करायें तथा व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करायें।
8– समस्त क्षे0वि0अ0/वि0नि0/केन्द्र प्रभारी, अयोध्या संभाग द्वारा सम्बन्धित जि.खा.वि.अ को उक्तानुसार अनुपालनार्थ।
9– समस्त कार्यरत ठेकेदार, अयोध्या संभाग द्वारा सम्बन्धित जिला खाद्य विपणन अधिकारी।
10– पटल प्रभारी, डाक अनुभाग को सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।

Digitally signed by SRI KRISNA
Date: 11-03-2026 18:23:15
सभागीय खाद्य नियन्त्रक,
अयोध्या संभाग, अयोध्या

सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था के अन्तर्गत परिवहन एवं हैण्डलिंग कार्य हेतु आमंत्रित ई–निविदा की शर्तें एवं निर्देशः–

01. प्रत्येक निविदा के शुल्क की निर्दिष्ट धनराशि प्रचलित शासनादेशानुसार जमा करना होगा तथा टेण्डर डालने हेतु उत्तर प्रदेश शासन के ई–टेण्डर पोर्टल "http://etender.up.nic.in" का उपयोग करना होगा।
02. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क एवं धरोहर धनराशि जमा करने की पठनीय रसीद अपलोड की जायेगी।
03. निविदादाता द्वारा निविदा अपलोड करते समय निविदा शुल्क व धरोहर धनराशि ब्लॉकवार जमा करनी होगी। टेक्निकल बिड के दौरान जॉच करने हेतु सम्भाग के समस्त ब्लॉक केन्द्रों पर डाले गये निविदा शुल्क व धरोहर धनराशि का विवरण यू0टी0आर0 संख्या व दिनांक के साथ संलग्न किया जाना होगा। निविदा शुल्क व धरोहर धनराशि निविदादाता द्वारा जमा किया गया ही मान्य होगा।
04. विभागीय कार्यों हेतु विभाग में आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ के पत्रांक 956/आ0वि0शा0/हैण्ड0परि0/सिंगलस्टेज/आर0एफ0पी0/2023 दिनांक 29.02.2024 द्वारा शासनादेश संख्या–380/29–6–2024/ई–6099 /2641/2020 दिनांक 26.02.2024 द्वारा निर्गत प्राविधानों के अन्तर्गत जो व्यक्ति/फर्म/कम्पनी/ ठेकेदार निर्धारित अर्हता की शर्तों को पूर्ण करेगें, वही ई–टेण्डरिंग में प्रतिभाग कर सकेंगे।
05. सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी के क्रियान्वयन एवं टेण्डर हेतु शासनादेश संख्या–380/29–6–2024 दिनॉक 26.02.2024 के साथ शासनादेश सं0–1/2021/मु0स034 /29–6–2021–85सा/2017 दिनांक 09.03.2021, शासनादेश सं0–878/29–6–2021–85 सा/17 दिनांक 14.06.2021 एवं यथासंशोधित शासनादेश सं0–1555/29.06.2021 दिनांक 03.09.2021 के संगत प्राविधानों तथा समय–समय पर प्रचलित शासनादेशों द्वारा निर्गत नीति तथा परिवहन एवं हैण्डलिंग ठेकेदारों की नियुक्ति हेतु निर्धारित समस्त प्राविधानों में उपलब्ध निर्देशों एवं नियम व शर्तें लागू होंगी।
06. ई–टेण्डरिंग में प्रतिभाग करने हेतु उन्हें यू0पी0एल0सी0 में पंजीकरण एवं नियमानुसार नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा।
07. निविदादाता द्वारा अपलोड किये जाने वाले प्रत्येक दस्तावेज एवं अन्य प्रपत्र पठनीय एवं सीलयुक्त हस्ताक्षरित ही पोषणीय/मान्य होंगे।
08. आवेदन पत्र (परिशिष्ट–I) के सभी बिन्दुओं पर पूर्ण सूचना अंकित करना अनिवार्य है।
09. निविदादाता द्वारा बैंक विवरण में अपने फर्म के लेटर हेड पर स्पष्ट रूप से नाम, पता, खाता संख्या, आई0एफ0एस0सी0 कोड सहित ऑनलाइन निविदा फार्म में संलग्न किया जाय।
10. निविदादाता हेतु ब्लॉकों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न/चीनी के आवंटन के सापेक्ष स्वयं के ट्रकों एवं छोटे/हल्के वाणिज्यिक वाहनों की न्यूनतम आवश्यकता के दृष्टिगत निविदा में ट्रकों की संख्या, भार वाहन क्षमता सहित पूर्ण विवरण लेटरपैड पर उल्लेख कर अपलोड कराया जाय।
11. निविदादाता को स्वयं के ट्रकों तथा छोट–हल्के वाणिज्यिक वाहन के नम्बर, उनके रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, इन्श्योरेन्स, सम्बन्धित अद्यतन टैक्स की रसीद आदि अभिलेख परिवहन विभाग के मानक के अनुसार निविदा डालते समय ही अपलोड करने होंगे। टेण्डर डालते समय समस्त अभिलेख वैध होने चाहिए तथा समयान्तर्गत अभिलेखों के नवीनीकरण का उत्तरदायित्व सम्बन्धित ठेकेदार का होगा।
12. निविदा में निविदादाताओं द्वारा किसी प्रकार की कन्डीशन (शर्त) का उल्लेख किया जाना वर्जित है। तथा अपूर्ण भरे हुये निविदा प्रपत्र एवं बिना डिजिटल सिग्नेचर के प्राप्त निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी।
13. निविदादाता को ब्लाकवार पृथक–पृथक निविदा डालनी होगी। एक निविदा फार्म पर एक से अधिक ब्लाक के कार्य के लिये निविदा मान्य नहीं होगी और वह अस्वीकृत कर दी जायेगी।
14. निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ प्रचलित शासनादेशानुसार निर्धारित प्रारूप में सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत सभी सदस्यों/भागीदारों के चरित्र प्रमाण–पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। अन्य प्रदेश के निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत चरित्र प्रमाण पत्र, उस प्रदेश के सक्षम प्राधिकारी के स्तर से निर्गत होना चाहिये। भागीदार फर्म/कम्पनी की दशा में वही सदस्य/पार्टनर्स मान्य होगें जिनके सम्बन्ध में रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाईटी एवं चिट्स/कम्पनी एक्ट के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी से निर्गत विधि मान्य प्रमाण पत्र/अभिलेख/डीड निविदादाता द्वारा उपलब्ध करायी गयी होगी को ऑनलाइन निविदा में अपलोड किया जायेगा। इसके अतिरिक्त पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी के पाटनर्स/सदस्यों में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है, तो परविर्तन के सम्बन्ध में रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स/कम्पनी एक्ट के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी के स्तर से निर्गत विधिमान्य प्रमाण पत्र/अभिलेख/डीड ही मान्य होंगे, अन्यथा की स्थिति में ठेकेदार का ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।

15. वर्तमान में कार्यरत आढ़ती, गल्ला व्यापारी, मंडी समिति/वाणिज्यिक कर विभाग में पंजीकृत खाद्यान्न/चीनी के लाइसेंसी, उचित दर विक्रेता, मिट्टी के तेल का थोक विक्रेता, चावल मिलर, फ्लोर मिलर, माफिया गतिविधियों में लिप्त व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी, नाबालिग एवं बार काउन्सिल में रजिस्टर्ड अधिवक्ता, एफ0पी0ओ0/एफ0पी0सी0 एवं उनके परिवारीजन, जिसमें उ0प्र0 पी0डी0एस0 कन्ट्रोल आर्डर 2016 में दी गयी परिभाषा के अनुसार सम्मिलित परिवारीजन टेण्डर प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अनर्ह होंगे।
16. ऐसे भागीदार ठेकेदार अथवा उनके परिवारीजन, जो पूर्व में खाद्य विभाग अथवा भारतीय खाद्य निगम अथवा सहयोगी कय एजेन्सी से ब्लैक लिस्ट हुये हों, के सहभागिता की फर्म या कम्पनी निविदा आवेदन हेतु अनर्ह होंगे।
17. ऐसे ठेकेदार जिसने विभाग से प्राप्त ठेके का कार्य करते समय किसी कालाबाजारी अथवा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाया गया हो अथवा उसने ठेके को किसी अन्य को सबलेट किया हो तथा ऐसा व्यक्ति जिसके विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 के उपबन्धों के अधीन दोष सिद्ध हो, उसे आवेदन हेतु अनर्ह माना जायेगा।
18. माफिया गतिविधियों में लिप्त व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी, नाबालिग एवं बार काउन्सिल में रजिस्टर्ड अधिवक्ता, एफ0पी0ओ0/एफ0पी0सी0 टेण्डर प्रकिया में भाग नहीं ले सकेंगे।
19. यदि कोई ठेकेदार अथवा निविदादाता किसी अन्य निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में सम्मिलित होने से रोकता या डराता/धमकाता है, तो दोषी ठेकेदार/निविदादाता की निविदा/आवंटित कार्य तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
20. परिवहन ठेकेदार द्वारा विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार अपराध मारपीट अथवा धमकी देने के आधार पर ठेकेदार का अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा
21. जनपद के अन्दर संचरण के साथ–साथ रैल लोडिंग तथा अर्न्तजनपदीय संचरण हेतु सड़क परिवहन के दौरान अनुमन्य सीमा से अधिक लोडिंग के लिये परिवहन ठेकेदार उत्तरदायी होगा।
22. अनुबन्ध पत्र पर नियमानुसार देय स्टैम्प ड्यूटी ठेकेदार द्वारा स्वयं वहन की जायेगी।
23. ठेकेदारों को उनके द्वारा किये गये कार्य के अनुसार प्रचलित शासनादेशों एवं दरों के अनुसार भुगतान किया जायेगा।
24. सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय बिड मांगी जायेगी। टेण्डर के शर्तों के अनुसार अर्हता पूर्ण करने वाले निविदा की तकनीकी (Technical Bid) प्रपत्रों का परीक्षण संलग्न चेक लिस्ट के अनुसार किया जायेगा। निविदादाता की अर्हता से सम्बन्धित समस्त अभिलेख अपलोड/शपथ–पत्र अपलोड करने होंगे तथा बी0ओ0क्यू0 (BOQ) के माध्यम से वित्तीय बिड (Financial Bid) अंकित की जायेगी। Technical Bid में निर्धारित अर्हतायें पूर्ण करने पर ही Financial Bid पर विचार किया जायेगा।
25. हैण्डलिंग एवं परिवहन ठेके के कार्य हेतु कार्य आवंटन आदेश सक्षम स्तर से निर्गत होने के उपरान्त विलम्बतम 15 दिन के अन्दर नियुक्त हैण्डलिंग एवं परिवहन ठेकेदार को समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर योगदान कर कार्य प्रारम्भ करना होगा, अन्यथा सम्बन्धित ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
26. खाद्यान्न ढुलाई हेतु उपयुक्त बड़े एवं छोटे हल्के वाणिज्यिक वाहन ही निविदा में मान्य होंगे।
27. ठेकेदारों की श्रेणी:–

'अ' श्रेणी के ठेकेदार–

1–ऐसे ठेकेदार जिनके द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में 03 या उससे अधिक ब्लाकों के टेण्डर हेतु आवेदन किया जायेगा।

2–'अ' श्रेणी के ठेकेदार को ई–टेण्डर के साथ रू–100000/प्रति ब्लॉक की दर से धरोहर धनराशि जमा करना होगी।

3–विगत 5 वर्षों में से किसी भी 03 वर्ष का प्रत्येक वर्ष रू0 50 लाख का खाद्य विभाग, सहयोगी एजेन्सी, सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग, केन्द्र व राज्य सरकार के निगम का कार्यानुभव अथवा विगत 05 वर्षों का औसत मिलाकर रू0 50 लाख का कार्यानुभव होना चाहिये। भागीदारी फर्म की स्थिति में फर्म का ही कार्यानुभव मान्य होगा तथा कम्पनी की दशा में कम्पनी का ही कार्यानुभव मान्य होगा।

4–निविदादाता की 50 लाख की न्यूनतम हैसियत होनी चाहिए। भागीदारी फर्म की स्थिति में समस्त भागीदारों की संयुक्त हैसियत भी मान्य होगी एवं कम्पनी की दशा में कम्पनी की हैसियत मान्य होगी। निविदा प्रपत्र के साथ प्रचलित शासनादेशानुसार निर्धारित प्रारूप में सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत हैसियत प्रमाण–पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।

'ब' श्रेणी के ठेकेदारः–

1–ऐसे ठेकेदार जिनके द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में 02 या उससे कम ब्लाकों के टेण्डर हेतु आवेदन किया जायेगा।

2–'ब' श्रेणी के ठेकेदार को ई–टेण्डर के साथ रू–60,000/प्रति ब्लॉक की दर से धरोहर धनराशि जमा करनी होगी।

3–विगत 5 वर्षों में से किसी भी 03 वर्ष का प्रत्येक वर्ष रू0 30 लाख का खाद्य विभाग, सहयोगी एजेन्सी, सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग, केन्द्र व राज्य सरकार के निगम का कार्यानुभव अथवा विगत 05 वर्षों का औसत मिलाकर रू0 30 लाख का कार्यानुभव होना चाहिये। भागीदारी फर्म की स्थिति में समस्त भागीदारों का संयुक्त अनुभव भी मान्य होगा।

4–यदि किसी निविदादाता के पास उपरोक्तानुसार कार्यानुभव नहीं है, तो उस स्थिति में टेण्डर स्वीकृत होने की दशा मे उस ठेकेदार को 02 माह के बिल के समतुल्य प्रतिभूति धनराशि जमा करनी होगी।

5–निविदादाता की न्यूनतम हैसियत रू0–30 लाख होनी चाहिये। भागीदारी फर्म की स्थिति में समस्त भागीदारों की संयुक्त हैसियत भी मान्य होगी। निविदा प्रपत्र के साथ प्रचलित शासनादेशानुसार निर्धारित प्रारूप में सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत हैसियत प्रमाण–पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।

28. निविदादाता द्वारा ई–टेण्डर डालते समय अपने आधार की पठनीय प्रति अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। भागीदारी फर्म तथा कम्पनी की दशा में सभी सदस्यों/भागीदारों के आधार की प्रति अपलोड करने होंगे।

29. निविदादाता द्वारा अपनी आयकर विवरणी ई–टेण्डर डालते समय अपलोड की जायेगी जिसमें विगत 03 वर्षों का आयकर रिर्टन, आडिटेड बैलेन्स शीट (जहॉ जो लागू हो), प्रॉफिट एण्ड लॉस एकाउण्ट/शिड्यूल, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (जहॉ जो लागू हो), एवं कम्पनी होने की दशा में आर0ओ0सी0 रिटर्न को अनिवार्य रूप से अपलोड किया जायेगा। यदि भागीदार फर्म/कम्पनी के गठन के 03 वर्ष पूर्ण न हुए हों तो वह उतने ही वर्षों का आयकर रिटर्न, बैलेस शीट, प्रॉफिट एण्ड लॉस एकाउण्ट/शिड्यूल टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आदि में जमा करेगा, जो उस पर लागू हो। यदि कोई फर्म या कम्पनी नयी बनी हो तो सम्बन्धित व्यक्ति/समस्त भागीदारों को विगत 03 वर्षों का आयकर रिटर्न प्रस्तुत करना होगा।

30. निविदादाता द्वारा ई–टेण्डर डालते समय पैन की प्रति अनिवार्य रूप से अपलोड किया जायेगा। भागीदार फर्म होने की दशा में समस्त भागीदारों एवं फर्म का पैन देना अनिवार्य होगा तथा कम्पनी होने की दशा में कम्पनी का पैन देना अनिवार्य होगा। बिना Form-5A के ई0पी0एफ0 पंजीकरण प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

31. टेण्डर की शर्तों में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत वैध ई0एस0आई0 एवं वैध ई0पी0एफ0 प्रमाण पत्र निर्गमन तिथि सहित अपलाड किया जाना अनिवार्य होगा।

32. निविदादाता द्वारा ई–टण्डर डालते समाय जी0एस0टी0 की प्रति अनिवार्य रूप से अपलोड किया जायेगा। भागीदार फर्म होन की दशा में समस्त भागीदारों एवं फर्म का जी0एस0टी0 प्रति देना अनिवार्य होगा तथा कम्पनी होन की दशा में कम्पनी का जी0एस0टी प्रति देना अनिवार्य होगा।

33. निविदादाता द्वारा रू0 10/– के स्टेम्प पर शपथ पत्र एवं रू0–100/– के स्टैम्प पर घोषणा पत्र परिशिष्ट ।। व परिशिष्ट ।।। के प्रारूप पर अपलोड करना अनिवार्य होगा (प्रारूप संलग्न)। प्रोपराईटरशिप फर्म की दशा में प्रापराइटर एवं भागीदारी फर्म/कम्पनी होने की दशा में उसके समस्त भागीदारों/निदेशक/सदस्यों द्वारा अलग–अलग शपथपत्र निविदा में ऑनलाइन अपलोड करना होगा।

34. निविदादाता द्वारा "च" श्रेणी ठकेदारों की स्थिति में परिशिष्ट ।।, परिशिष्ट ।।। एवं परिशिष्ट IV पर दिये गय प्रारूप पर शपथ पत्र एव घोषणा पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा (प्रारूप संलग्न)। यदि किसी निविदादाता द्वारा पूरे प्रदेश में केवल 02 या उससे कम ब्लॉकों हेतु टेण्डर डाला जाता है तो उस स्थिति में निविदादाता को परिशिष्ट–IV में दिये गये प्रारूप पर इस आशय का शपथ पत्र (रू–10/–के नान जुडीशियल स्टेम्प पर नाटरी द्वारा प्रमाणित) भी उपलब्ध कराना होगा कि उसके द्वारा पुरे प्रदेश में केवल 02 या उससे कम ब्लाको पर ही आवेदन किया गया है।, जिसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर ठकदार के विरूद्ध नियमानुसार ठेका निरस्तीकरण/ब्लैक लिस्टिंग आदि की कार्यवाही की जायेगी।

35. निर्धारित प्रारूप पर चेकलिस्ट (संलग्न) पूर्ण रूप से भरकर अपलोड करना होगा।

36. साझीदारी फर्म की स्थिति में मैनेजिंग पार्टनर जिसे अन्य साझीदारों द्वारा टेण्डर के लिये अधिकृत किया हो या पावर आफ एटार्नी दी गयी हो के द्वारा ही टेण्डर डाला जाएगा। इसी प्रकार कम्पनी की स्थिति में बोर्ड संकल्प (Board Resolution) द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही टेण्डर डालेगा। अथारिटी लेटर/पॉवर आफ अटार्नी/बोर्ड रिजोल्यूशन निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

37. टेण्डर डालते समय समस्त अभिलेख/प्रपत्र वैध होने चाहिए।

38. निविदादाता पार्टनर फर्म होने की स्थिति में रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स का पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं पार्टनरशिप डीड अपलोड करना अनिवार्य होगा। कम्पनी होने की दशा में कम्पनी रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्रा अपलोड करना अनिवार्य होगा।

39. निविदादाता द्वारा अपने लेटर पैड पर स्वयं की गाड़ियों की सूची संलग्न करना होगा जिससे वाहनों के 1 सेट से अधिक केन्द्रों पर निविदा डालने पर एल–1 की स्थिति में उपलब्ध गाड़ियों की सूची के आधार पर निविदा आवंटित हो सके। निविदा आवंटन के पश्चात अतिरिक्त वांछित वाहनों के प्रपत्र उपलब्ध कराना होगा।

40. एक ब्लॉक हेतु निर्धारित कुल ट्रकों/वाहनों (01 सेट) के आधार पर एल–1 की स्थिति में ठेकेदार से लिखित सहमति प्राप्त करके एक ब्लॉक का कार्य आवंटित हो सकेगा। ट्रकों/वाहनों के एक ब्लॉक के अपेक्षित सेट के आधार पर टेण्डरदाता अधिकतम 03 ब्लॉक केन्द्रों/क्षेत्रों में टेण्डर डाल सकेगा एवं यदि एल–1 की स्थिति में आता है तो उसे नियमानुसार एक केन्द्र आवंटित हो जायेगा। ट्रकों की अधिक संख्या होने पर व एल–1 की स्थिति में ट्रकों की संख्या के समानुपात एवं ब्लाक हेतु अपेक्षित ट्रकों की संख्या के दृष्टिगत एक से अधिक ब्लॉक का कार्य आवंटित हो सकेगा। जिन वाहनों के सेट के आधार पर ठेकेदार को किसी ब्लॉक का ठेका प्राप्त हो जाता है तो उन वाहनों को किसी अन्य ब्लॉक के टेण्डर डालने में अंकित/प्रयोग नहीं किया जायेगा।

41. निविदादाता द्वारा संलग्न शासनादेश की तालिका में वर्णित ट्रकों/वाहनों की न्यूनतम उपलब्धता होने पर ठेकेदार तकनीकि बिड हेतु अर्ह होगा, परन्तु संलग्न शासनादेश के प्रस्तर 14.2 में उल्लिखित व्यवस्था के क्रम में ब्लॉकवार आवंटन/आवश्यकतानुसार बड़े एवं छोटे हल्के वाणिज्यिक वाहनों की क्षमता एवं संख्या का संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त खाद्य द्वारा आगणित वाहनों की सूची परिशिष्ट–VII के आधार पर स्वयं/किराये के ट्रकों/वाहनों की अनिवार्य रूप से उपलब्धता निर्दिष्ट अवधि के अन्दर वांछित प्रपत्रों के साथ सुनिश्चित करानी होगी। अन्यथा टेण्डर/ठेका निरस्त कर दिया जाएगा।

42. निविदा स्वीकृत होने पर सम्बन्धित निविदादाता को निर्धारित प्रतिभूति धनराशि नियमानुसार प्रस्तुत करनी होगी। ऐसा न करने पर ठेका निरस्त करते हुए निविदा की धरोहर धनराशि शासन के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।

43. यदि हैण्डलिंग/परिवहन ठेकेदार द्वारा कार्य निष्पादन के दौरान उसके किसी ट्रक के डाइवर्जन/कालाबाजारी का प्रकरण पाया जाता है, तो उसका ठेका/अनुबन्ध तत्काल निलम्बित करते हुये ठेकेदार के विरूद्ध आपराधिक मामला दर्ज कराकर अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी एवं उसके अनुबन्ध निरस्तीकरण एवं ब्लैक लिस्टिंग की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

44. प्रत्येक ठेकेदार को अपने वाहनों में जी0पी0एस0 सिस्टम लगवाना अनिवार्य होगा। इस मद में आने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति ठेकेदार के बिल से समायोजित करते हुए, सेवा प्रदाता को की जायेगी।

45. आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ के कार्यालय पत्रांक–719/आ0वि0शा0/हैण्ड0परि0/सूचना–02/2024–25 दिनांक 26.02.2026 के द्वारा शासन के पत्र संख्या–166/36–6–2026–(2000500) दिनांक 29.01.2026 संलग्न कर यह निर्देश दिये गये हैं कि नगर निगमों तथा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत सभी ठेकेदारों को ''स्प्री स्कीम 2025'' के सम्बन्ध में आवश्यक रूप से अवगत कराते हुए निविदा/टेण्डर प्रक्रिया के प्रारम्भिक चरण में ही ई0एस0आई0 पंजीकरण एवं नियमित अंशदान को अनिवार्य शर्त के रूप में सम्मिलित किया जाये।

46. सम्भागीय खाद्य नियंत्रक को बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदा को निरस्त अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार होगा।

वरिष्ठ सम्भागीय वित्त एवं लेखाधिकारी(खाद्य), अयोध्या सम्भाग, अयोध्या।	11.3.2026 सम्भागीय खाद्य विपणन अधिकारी, अयोध्या सम्भाग, अयोध्या।	11/3/26 सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, अयोध्या सम्भाग, अयोध्या।

ब्लाक पुनर्गठन सूचना, जनपद अयोध्या।

क्र0 सं0	क्लस्टर मुख्यालय का नाम	क्लस्टर में सम्मिलित ब्लाक का नाम	उचित दर दुकानों की संख्या	आवंटन		योग
				गेहूँ	चावल	
1	अयोध्या नगर	अयोध्या नगर	63	2521.50	3780.00	6301.50
2	मसौधा	मसौधा	66	2515.50	3775.00	6290.50
3	सोहावल	सोहावल	59	2499.50	3751.50	6251.00
4	तारुन	तारुन	77	2415.50	3628.50	6044.00
5	बीकापुर	बीकापुर	59	2408.50	3615.50	6024.00
6	गोशाईंगंज	गोशाईंगंज	67	2425.00	3637.50	6062.50
7	पूरा बाजार	पूरा बाजार	64	2408.50	3613.00	6021.50
8	अमानीगंज	अमानीगंज	73	2489.50	3735.00	6224.50
9	मिल्कीपुर	मिल्कीपुर	62	2493.50	3735.50	6229.00
10	हरिंग्टनगंज	हरिंग्टनगंज	65	2478.00	3718.50	6196.50
11	मवई	मवई	62	2625.00	3939.50	6564.50
12	रुदौली	रुदौली	59	2429.00	3645.00	6074.00
13	पूरे काजी	रुदौली	61	2403.50	3609.50	6013.00
14	मयाबाजार	पूराबाजार, मयाबाजार, तारुन एवं बीकापुर	79	2512.50	3772.50	6285.00
15	कुचेरा	मसौधा, सोहावल, मिल्कीपुर एवं अमानीगंज	61	2573.50	3861.00	6434.50
		योग–	**977**	**37198.50**	**55817.50**	**93016.00**

07.03.2026

जिला खाद्य विपणन अधिकारी,
अयोध्या।

Digitally signed by
Brijesh Kumar Mishra
Date: 07-03-2026
12:08:18

जिला पूर्ति अधिकारी,
अयोध्या।

Scanned with OKEN Scanner

जनपदों में वर्ष 2026–27 में ठेकेदारों की नियुक्ति हेतु विकास खण्डों के पुनर्गठन विषयक गोदामवार सूचना

क्र0सं0	जनपद का नाम	गोदाम का नाम	वर्तमान आवंटन (गेहूँ व चावल)	पुनर्गठन/समायोजन के पश्चात आवंटन (गेहूँ व चावल)	अन्य विवरण
01	अम्बेडकरनगर	अकबरपुर (1)	15487.00	**7743.50**	
02		अकबरपुर (2)	0.00	**7743.50**	
03		कटेहरी	8483.00	8483.00	
04		भीटी	7064.00	7064.00	
05		टाण्डा (1)	14121.50	**7060.75**	
06		टाण्डा (2)	0.00	**7060.75**	
07		बसखारी	8978.00	8978.00	
08		रामनगर	9139.50	9139.50	
09		जहॉगीरगंज	8295.00	8295.00	
10		जलालपुर (1)	12882.00	**6441.00**	
11		जलालपुर (2)	0.00	**6441.00**	
12		भियॉव	8255.00	8255.00	
योग–			**92705.00**	**92705.00**	

नोट– अपर आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ के पत्रांक 581/आ0वि0शा0/हैण्ड0परि0/सिंगल स्टेज/आर0एफ0पी0/2025, दिनांक 12.02.2026 में दिये गये निर्देश के अनुसार जनपद में किसी भी ब्लॉक गोदाम का आवंटन 6000.00 कु0 से कम नही है परन्तु इस सम्बन्ध में आहूत वीडियो कान्फ्रेन्सिंग में सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, अयोध्या सम्भाग, अयोध्या द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में उपरोक्त कलेस्टरिंग की गयी है।

11.3.2026

जिला खाद्य विपणन अधिकारी,
अम्बेडकरनगर।

जिला पूर्ति अधिकारी
अम्बेडकरनगर।

Scanned with OKEN Scanner

जनपदों में वर्ष 2026–27 में ठेकेदारों की नियुक्ति हेतु विकास खण्डों के पुनर्गठन विषयक गोदामवार सूचना।

क्र. सं.	जनपद का नाम	गोदाम/विकास खण्ड का नाम	पुनर्गठन के पूर्व		पुनर्गठन के पश्चात	
			वर्तमान आबंटन (गेहूँ व चावल) कुन्तल में	उचित दर विक्रेताओ की संख्या	पुनर्गठन के पश्चात आबंटन (गेहूँ व चावल) कुन्तल में	उचित दर विक्रेताओ की संख्या
1	सुलतानपुर	अखण्डनगर	6989.44	76	6989.44	76
2	सुलतानपुर	कुडवार	9382.46	78	9382.46	78
3	सुलतानपुर	कूरेभार	9305.874	92	9305.874	92
4	सुलतानपुर	करौदीकला	4617.6	47	9016.78	95
5	सुलतानपुर	मोतिगरपुर	4399.18	48	0	0
6	सुलतानपुर	कादीपुर	7134.9	72	7134.9	72
7	सुलतानपुर	जयसिंहपुर	8875.86	95	8875.86	95
8	सुलतानपुर	दूबेपुर प्रथम	14379.17	137	7472.655	65
9	सुलतानपुर	दूबेपुर द्वितीय	0	0	6906.51	72
10	सुलतानपुर	दोस्तपुर	6456.27	66	6456.27	66
11	सुलतानपुर	धनपतगंज	7614.88	66	7614.88	66
12	सुलतानपुर	प्रतापपुरकमैचा	6427.35	71	6427.35	71
13	सुलतानपुर	बल्दीराय	8284.33	70	8284.33	70
14	सुलतानपुर	भदैंया	7139.93	73	7139.93	73
15	सुलतानपुर	लम्भुआ	8482.5	93	8482.5	93
Total			**109489.744**	**1084**	**109489.744**	**1084**

नोट– आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग,उत्तर प्रदेश जवाहर भवन, लखनऊ के पत्रांक–581/आ0वि0शा0/हैण्ड0परि0/सिंगल स्टेज/आर0एफ0/2025 दिनांक 12.02.2026 में दिये गये निर्देशो के अनुसार जनपद में किसी भी ब्लाक गोदाम का आबंटन 6000कुन्तल से कम नही होना चाहिए। साथ ही इस सम्बन्ध में आहूत वीडियो कान्फ्रेन्सिंग में सम्भागीय खाद्य नियंत्रक अयोध्या सम्भाग अयोध्या द्वारा दिये गये निर्देश के कम में उपरोक्त कलेस्टरिंग की गयी है।

11/03/2026

जिला खाद्य विपणन अधिकारी,
सुलतानपुर।

Kumar 11/03/26

जिला पूर्ति अधिकारी
सुलतानपुर।

Scanned with OKEN Scanner

जनपदों में वर्ष 2026–27 में ठेकेदारों की नियुक्ति हेतु विकास खण्डों के पुनर्गठन विषयक

गोदामवार सूचना

क्रमसं	जनपद का नाम	गोदाम का नाम	वर्तमान आवंटन (गेहूँ व चावल)	पुनर्गठन/ समायोजन के पश्चात आवंटन (गेहूँ व चावल)	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
1	बाराबंकी	कुर्सी	10392.00	7610.90	
2	बाराबंकी	टिकैतनगर	6480.21	8419.96	
3	बाराबंकी	त्रिवेदीगंज	8419.90	7478.86	
4	बाराबंकी	दरियाबाद	9053.60	9053.60	
5	बाराबंकी	देवां	9909.80	9909.80	
6	बाराबंकी	फतेहपुर	12423.00	7584.25	
7	बाराबंकी	फतेहपुर द्वितीय	0.00	7619.85	
8	बाराबंकी	बाराबंकी	13465.85	7041.65	
9	बाराबंकी	बाराबंकी द्वितीय	0.00	6424.20	
10	बाराबंकी	बुढवल	8642.20	8642.20	
11	बाराबंकी	भिटरिया	11262.00	9322.25	
12	बाराबंकी	सफदरगज.	8644.05	8644.05	
13	बाराबंकी	सिद्धौर	11551.54	7522.70	
14	बाराबंकी	सिद्धौर द्वितीय	0.00	7164.68	
15	बाराबंकी	सिरौलीगौसपुर	9263.10	9263.10	
16	बाराबंकी	सूरतगंज	10818.80	10818.80	
17	बाराबंकी	हरख	10626.85	10626.85	
18	बाराबंकी	हैदरगढ़	9965.32	7770.52	
		योग	**150918.22**	**150918.22**	

नोटः– अपर आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 जवाहर भवन लखनऊ के पत्रांक 581/आ0वि0शा0/हैण्ड0परि0/सिंगल स्टेज/आर0एफ0पी0/2025 दिनांक 12.02.2026 में दिये गये निर्देश के अनुसार जनपद में किसी भी ब्लाक गोदाम का अवंटन 6000 कु0 से कम नहीं है, परन्तु इस सम्बन्ध में आहूत वीडियो कान्फ्रेन्सिंग में सम्भागीय खाद्य नियंत्रक अयोध्या सम्भाग अयोध्या द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में उपरोक्त कलेस्टरिंग की गयी है।

जिला खाद्य विपणन अधिकारी
बाराबंकी।

जिला पूर्ति अधिकारी 10/2026
बाराबंकी।

वर्ष 2026–27 में ठेकेदारों की नियुक्ति हेतु विकास खण्डों के पुनर्गठन के उपरान्त प्रत्येक विकास खण्ड का आवंटन

क्रमांक	नगर निकाय/विकास खण्ड का नाम	कुल आवंटन
1	**गौरीगंज**	8965.5
2	**अमेठी**	8882
3	**जगदीशपुर**	8913
4	**जामों**	6861.5
5	**तिलोई**	10549
6	**भादर**	9292
7	**मुसाफिरखाना**	6170.5
8	**शुकुलबाजार**	6434.5
9	**सिंघपुर**	7258.5
	योग	**73326.5**

25/02/2026

जिला खाद्य विपणन अधिकारी
अमेठी।

25/02/2026

जिला पूर्ति अधिकारी
अमेठी।

महत्वपूर्ण

संख्या-71/29-6-2026

प्रेषक,

अभिषेक गोयल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य एवं रसद विभाग,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

खाद्य एवं रसद अनुभाग-6 लखनऊ:-दिनांक 09-02-2026

विषयः- सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था के अंतर्गत हैण्डलिंग एवं परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति हेतु टैंडर की शर्तों में परिवर्तन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासकीय पत्रांकः-380/29-6-2024, दिनांकः-26/02/2024 तथा अपने पत्र संख्याः-344/आ०वि०शा०/हैण्ड०परी०/सिंगल स्टेज/आर०एफ०पी०/2025, दिनांकः-27-01-2026 सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आपके पत्र दिनांकः-27-01-2026 के माध्यम से अगले दो वर्षों हेतु सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था के अंतर्गत हैण्डलिंग एवं परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति हेतु टैंडर की शर्तों में परिवर्तन किये जाने हेतु सम्भागों से प्राप्त सुझावों एवं कमेटी द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त प्रस्तावित नयी आर०एफ०पी० पर अनुमोदन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समय की कमी के दृष्टिगत पूर्व में शासकीय पत्रांकः-380/29-6-2024, दिनांकः-26/02/2024 के माध्यम से अनुमोदित आर०एफ०पी० में संशोधन का औचित्य नहीं पाया गया है।

3- सिंगल स्टेज की निविदा में प्रतिस्पर्धा का अभाव होने के कारण समय-समय पर शासन को एकल निविदा स्वीकृत करने का अनुरोध प्राप्त होता रहता है। अतः मुझे इस सम्बन्ध में यह भी कहने का निदेश हुआ है कि इस सम्बन्ध में सम्बंधित को यह स्पष्ट कर दे कि सिंगल स्टेज परिवहन नीति में ब्लॉक का अर्थ उचित दर विक्रेताओं के समूह से है एवं निविदा के पूर्व शहरी/ ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक इस तरह से गठित किये जायें कि निविदा में पर्याप्त संख्या में परिवहनकर्ताओं द्वारा प्रतिभाग किया जा सके। ऐसे जनपदों में जहां निविदा में पर्याप्त प्रतिभागिता परिलक्षित नहीं हो रही है, वहां ब्लॉकों का पुनर्गठन किया जाय। ब्लाक का गठन करते समय यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि किसी भी ब्लॉक में खाद्यान्न की मात्रा 6000 क्विंटल से कम न हो।

4- कृपया तदक्रम में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Digitally signed by
ABHISHEK GOYAL
Date: 09-02-2026
19:39:18

(अभिषेक गोयल)
विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

पत्रांक- 81 /आ0वि0शा0/हैण्ड0परि0/सिंगल स्टेज/आर0 एफ0 पी0/2025

प्रेषक,

अपर आयुक्त,
खाद्य तथा रसद विभाग,
उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन,
लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त सम्भागीय खाद्य नियंत्रक,
उत्तर प्रदेश।

2. समस्त संयुक्त आयुक्त/ उपायुक्त (खाद्य),
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः दिनाँकः 12 फरवरी, 2026

विषयः-सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी परिवहन व्यवस्था के अंतर्गत हैण्डलिंग एवं परिवहन ठेकेदारो की नियुक्ति की कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि शासनदेश संख्या-380/29-6-2024/ई-6099/2641/2020 दिनाँक 26.02.2024 द्वारा सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी परिवहन व्यवस्था के अंतर्गत हैण्डलिंग एवं परिवहन के ठेकेदारो की नियुक्ति हेतु आर0एफ0पी0/टेण्डर की शर्ते निर्गत की गयी हैं। तत्क्रम में शासन के पत्रांक-71/29-6-2026 दिनाँक 09.02.2026 द्वारा निर्देशित किया गया है कि पूर्व में शासन के पत्र संख्या-380/29-6-2024 दिनाँक 26.02.2024 द्वारा निर्गत की गयी आर0एफ0पी0/निविदा की शर्तों के अनुसार ही निविदा की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया गया है कि सिंगल स्टेज परिवहन नीति में ब्लॉक का अर्थ उचित दर विक्रेताओ के समूह से है एवं निविदा के पूर्व शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक इस तरह से गठित किये जाये कि निविदा में पर्याप्त संख्या में परिवहनकर्ताओं द्वारा प्रतिभाग किया जा सके। ऐसे जनपदों में जहाँ निविदा में पर्याप्त प्रतिभागिता परिलक्षित नहीं हो रही है, वहाँ ब्लॉकों का पुनर्गठन किया जाये। ब्लॉक का गठन करते समय यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि किसी भी ब्लॉक में खाद्यान की मात्रा 6000 कु0 से कम न हो। साथ ही साथ समस्त जनपदों से जिला पूर्ति अधिकारियों एवं जिला खाद्य विपणन अधिकारियों द्वारा ब्लॉकों का यथावश्यक पुनर्गठन कराकर संलग्न प्रारूप पर सूचना संकलित करते हुए संयुक्त आयुक्त/ उपायुक्त (खाद्य) द्वारा एक सप्ताह के अन्दर मुख्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

अतः उक्त के दृष्टिगत अनुरोध है कि कृपया प्रकरण में उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

(कामता प्रसाद सिंह)
अपर आयुक्त।

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. वित्त नियंत्रक, खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश,जवाहर भवन, लखनऊ।
2. अपर आयुक्त (आपूर्ति), खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश,जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वैयक्तिक सहायक, खाद्यायुक्त कैम्प कार्यालय को खाद्यायुक्त महोदय के सादर अवलोकनार्थ।

12/2/26
(कामता प्रसाद सिंह)
अपर आयुक्त।

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

पत्रांक–956/आ0वि0शा0/हैण्ड0परि0/सिंगल स्टेज/आर0एफ0पी0/2023

प्रेषक,

आयुक्त,
खाद्य एवं रसद विभाग
उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन,
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त सम्भागीय खाद्य नियंत्रक,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनाँक–21 फरवरी, 2024

विषय–सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्थान्तर्गत निर्गत नयी आर0एफ0पी0/टेण्डर की शर्तों के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि शासनादेश सं0–मु0अ0–34/29–6–2021 दिनांक–09.03.2021 द्वारा प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम डिपो से उचित दर विक्रेताओं की दुकान तक खाद्यान्न के उठान/प्रेषण हेतु सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था लागू की गयी थी, जिसके क्रम में उपरोक्त व्यवस्था के अन्तर्गत ई–टेण्डर के माध्यम से हैण्डलिंग एवं परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति हेतु शासनादेश सं0–878/29–6–2021 दिनांक 14.06.2021 एवं संशोधित शासनादेश सं0–1555/29–6–2021 दिनांक 03.09.2021 निर्गत किये गये थे। उल्लेखनीय है कि कतिपय सम्भागों में सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी परिवहन व्यवस्था के टेण्डर समाप्त हो गये हैं तथा कतिपय सम्भागों में शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं।

उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि वर्तमान में सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी परिवहन व्यवस्था के कियान्वयन में आ रही कठिनाइयों/समस्याओं एवं छोटे वाहनों की अनिवार्यता के दृष्टिगत तथा शिड्यूल दरों को और अधिक तथ्यात्मक बनाते हुये शासन द्वारा शासनादेश संख्या–380/29–6–2024/ई–6099/2641/2020 दिनांक–26.02.2024 द्वारा सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी परिवहन व्यवस्था के अन्तर्गत ठेकेदारों की नियुक्ति हेतु नयी आर0एफ0पी0/टेण्डर की शर्तें निर्गत की गयी हैं।

अतः हैण्डलिंग एवं परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति हेतु अनुमोदित नयी आर0एफ0पी0/टेण्डर की शर्तों के आधार पर समस्त सम्भागीय खाद्य नियंत्रकों द्वारा तत्काल ई–टेण्डर आमंत्रित किये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

उपरोक्त के साथ–साथ निम्नवत् दिये गये सामान्य निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा :–

1. सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी परिवहन व्यवस्था के अन्तर्गत समस्त सम्भागीय खाद्य नियंत्रकों द्वारा समस्त ब्लाकों हेतु तत्काल ई–टेण्डर आमंत्रित किये जायेगें एवं जिन ब्लाकों पर ठेके के अनुबन्ध की अवधि अभी अवशेष होगी, उन ब्लाकों पर आमंत्रित किये गये ठेके, वर्तमान में प्रचलित ठेका/अनुबन्ध की अवधि के समाप्त होने की तिथि से प्रभावी होगी।

2. सम्भागीय खाद्य नियंत्रकों द्वारा ब्लाकवार/केन्द्रवार पृथक–पृथक ई–टेण्डर प्रकाशित किया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

3. नयी आर0एफ0पी0/टेण्डर की शर्तों में निहित प्राविधानों के अनुसार ब्लाकवार आवंटन/आवश्यकता के आधार पर बड़े एवं छोटे–हल्के वाणिज्यिक वाहनों की क्षमता एवं संख्या का तत्काल आंकलन करते हुये नियमानुसार ई–टेण्डर आमंत्रित किये जायेगें।

4. टेण्डर फार्म के प्रारूप, शपथ पत्र का प्रारूप, टेण्डर की शर्तें, निविदा हेतु चेक लिस्ट एवं ब्लाकवार आवंटन के सापेक्ष स्वयं की ट्रकों की न्यूनतम अनिवार्यता का विवरण आदि संलग्न है। टेण्डर स्वीकृत होने की स्थिति में विभाग के साथ सम्पादित होने वाले अनुबन्ध का प्रारूप पृथक से प्रेषित किया जायेगा।

5. टेण्डर खुलने, बन्द होने की तिथि व समय निविदा विज्ञप्ति में दी जायेगी तथा निविदा सूचना की सूक्ष्म विज्ञप्ति 03 लीडिंग समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करायी जायेगी। इस हेतु नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में सम्बन्धित सम्भाग के सम्भागीय खाद्य नियंत्रक उत्तरदायी होगें।

6. ई–टेण्डर हेतु जारी खाद्य विभाग तथा आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक विभाग के निर्देशों में किसी भिन्नता की स्थिति में आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक विभाग के निर्देश प्रभावी होगें।

7. हैण्डलिंग एवं परिवहन ठेके के कार्य हेतु कार्य आवंटन आदेश सक्षम स्तर से निर्गत होने के उपरान्त विलम्बतम 15 दिन के अन्दर नियुक्त हैण्डलिंग एवं परिवहन ठेकेदार को समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर योगदान कर कार्य प्रारम्भ करना होगा।

8. ठेका निरस्तीकरण आदि आदेश के विरूद्ध 30 दिन के भीतर आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा सकेगी।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय

(सौरभ बाबू)
आयुक्त।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. प्रमुख सचिव, खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
2. निजी सचिव, माननीय खाद्य तथा रसद, राज्यमंत्री, उत्तर प्रदेश को माननीय मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. वित्त नियंत्रक, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम, लखनऊ।
7. समस्त वरिष्ठ सम्भागीय लेखाधिकारी/सम्भागीय लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त सम्भागीय खाद्य विपणन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त (खाद्य), उत्तर प्रदेश।
10. समस्त जिला खाद्य विपणन अधिकारी/जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(सौरभ बाबू)
आयुक्त।

Scanned with OKEN Scanner

सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी परिवहन कार्य व अन्य परिवहन एवं हैण्डलिंग कार्यों हेतु निविदा की शर्तें व अन्य विवरण

1. कार्य का उद्देश्य

सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम डिपो से सीधे उचित दर विक्रेताओं की दुकान तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु खाद्यान्न तथा राज्य एवं भारत सरकार द्वारा भविष्य में यदि कोई अन्य योजना लागू की जाती हैं, तो उन योजनाओं के खाद्यान्न/चीनी के उठान/प्रेषण हेतु परिवहन एवं हैण्डलिंग से सम्बन्धित कार्य तथा आवश्यकतानुसार अन्य विभागीय कार्य हेतु ई–टेण्डर के माध्यम से ब्लाकवार ई–निविदा आमंत्रित की जा रही है।

इस प्रकिया के अन्तर्गत निर्धारित अर्हता रखने वाले निविदादाताओं द्वारा ब्लाकवार पृथक–पृथक निविदा डाली जा सकती है। निविदा डालने हेतु सम्बन्धित निविदादाता को विभाग की आवश्यकता के क्रम में दिये गये निर्देशानुसार ब्लाकवार पृथक–पृथक बड़े एवं छोटे/हल्के वाणिज्यिक वाहन उपलब्ध कराने होगें।

2. निविदा का आमंत्रण –

2.1. ई–टेण्डर प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न कार्यवाही यथा ई–रजिस्ट्रेशन, ई–कोडिंग, टेण्डर कियेशन, टेण्डर प्रकाशन, टेण्डर फार्म परचेज, टेण्डर सबमिशन, बिड ओपनिंग, नियुक्ति/निर्णय आदि कार्य इलेक्ट्रॉनिकली किये जायेंगे।

2.2. इस निमित्त टेण्डर फार्म के साथ शपथ–पत्र का प्रारूप, टेण्डर की शर्तें व अन्य संगत प्रपत्र, विभाग द्वारा अपलोड कर इलेक्ट्रानिकली उपलब्ध कराया जायेगा।

2.3. टेण्डर फार्म शुल्क, धरोहर धनराशि आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0/ऑन लाइन जमा करने हेतु बैंक का नाम, पता एवं एकाउण्ट नम्बर, आई0एफ0एस0 कोड आदि विभाग द्वारा टेण्डर प्रपत्र पर ही उपलब्ध कराया जायेगा।

2.4. इस हेतु नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में सम्बन्धित सम्भाग के सम्भागीय खाद्य नियंत्रक उत्तरदायी होगें।

(प्रेम प्रकाश त्रिपाठी)
अनुभाग अधिकारी,
खाद्य एवं रसद अनुभाग-6,
उत्तर प्रदेश शासन।

2.5. कार्य के विवरण एवं टेण्डर की शर्तों मे उल्लिखित निर्देशों/शर्तो के अनुसार ठेकेदार को कार्य करने होगें। इस हेतु ब्लॉकवार/केन्द्रवार पृथक–पृथक टेण्डर प्रकाशित किया जायेगा।

2.6. सम्भागीय खाद्य नियंत्रकों द्वारा निविदादाताओं के साथ अनिवार्य रूप से प्री–बिड बैठक की जायेगी, जिसमें उन्हें निविदा/निविदा शर्तों आदि के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी दी जायेगी एवं उनकी पृच्छाओं को निवारण किया जायेगा तथा नये ठेकेदारों को निविदा में प्रतिभाग करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा तथा निविदा में पर्याप्त प्रतिस्पर्धा करायी जायेगी।

3. निविदादाताओं की श्रेणी –

ठेकेदारों के मध्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने, नये लोगों को प्रत्साहित करने एवं ठेकेदारों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था के अन्तर्गत निविदाकर्ताओं को निम्न् 02 श्रेणियों में विभाजित किया गया है :–

3.1. 'अ श्रेणी' के ठेकेदार – ऐसे ठेकेदार, जिनके द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में 03 या उससे अधिक ब्लाकों के टेण्डर हेतु आवेदन किया जायेगा।

3.2. 'ब श्रेणी' के ठेकेदार – ऐसे ठेकेदार, जिनके द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में 02 या उससे कम ब्लाकों के टेण्डर हेतु आवेदन किया जायेगा।

4. कार्य का विवरण –

4.1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सिंगल स्टेज परिवहन एवं हैण्डलिंग कार्य –

4.1.1. प्रत्येक ब्लॉक हेतु सिंगल स्टेज परिवहन व्यवस्थान्तर्गत एक हैण्डलिंग तथा परिवहन ठेकेदार नियुक्त किया जायेगा, जिसके द्वारा केन्द्रीयपूल व्यवस्था के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम द्वारा संचालित गोदामों से प्राप्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना के खाद्यान्न का परिवहन सीधे उचित दर विक्रेताओं की दुकान तक निर्धारित मार्ग से पहुँचाया जायेगा।

4.1.2. सफल निविदादाता द्वारा उचित दर विक्रेताओं की दुकान पर पहुंचाये गये खाद्यान्न की तौल सहित अनलोडिंग का कार्य करना होगा।

(प्रेम प्रकाश त्रिपाठी)
अनुभाग अधिकारी,
खाद्य एवं रसद अनुभाग-6,
उत्तर प्रदेश शासन।

Scanned with OKEN Scanner

4.1.3. सिंगल स्टेज ठेकेदार द्वारा उचित दर विक्रेताओं को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के पश्चात् उनसे प्राप्ति रसीद टी0सी0डी0सी0 पर सदिनांक प्राप्त कर उसे प्रेषण प्रभारी को उपलब्ध कराना होगा।

4.1.4. सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी परिवहन ठेकेदार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु आवंटित चीनी का उठान निर्धारित चीनी मिल से नियत स्थान तक किया जायेगा।

4.1.5. सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी परिवहन ठेकेदार द्वारा एम0डी0एम0/पी0एम0 पोषण, आई0सी0डी0एस0 आदि योजनान्तर्गत आवंटित खाद्यान्न के हैण्डलिंग तथा परिवहन का कार्य निर्धारित स्थान से नियत स्थान/उचित दर विक्रेता की दुकान तक करना होगा।

4.1.6. आवश्यकता पड़ने पर सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी परिवहन ठेकेदार द्वारा सीधे रेल हेड से भारतीय खाद्य निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न का परिवहन निर्धारित मार्ग से नियत स्थान/उचित दर विक्रेता की दुकानों तक किया जायेगा तथा उचित दर विक्रेताओं की दुकान पर पहुंचाये गये खाद्यान्न की तौल सहित अनलोडिंग का कार्य करना होगा।

4.1.7. उपरोक्त के अतिरिक्त सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी परिवहन ठेकेदार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सम्बन्धित अन्य कार्य यथा–बोरों की रैक हैण्डलिंग /परिवहन का कार्य, खाद्यान्न/अन्य जिन्स/बोरा/डेड स्टाक आदि का परिवहन एवं हैण्डलिंग कार्य आदि भी करना होगा।

4.1.8. विभाग द्वारा सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी परिवहन ठेकेदार से आवश्यकतानुसार सीजनल परिवहन कार्य/अन्य कार्य (भविष्य में राज्य एवं भारत सरकार द्वारा यदि कोई योजना लागू की जाती हैं, तो उन योजनाओं के परिवहन एवं हैण्डलिंग से सम्बन्धित कार्य) भी करवाया जा सकता है।

4.1.9. जनपद– ....., ब्लाक– ..... का कार्य करने हेतु सम्बन्धित ठेकेदार को कुल ..... क्षमता के ..... (संख्या) के बड़े वाहन/ट्रक तथा कुल ..... क्षमता के ..... (संख्या) के छोटे–हल्के वाणिज्यिक वाहन उपलब्ध कराने होगें। ब्लाकवार वाहनों की आवश्यकता का क्षमतावार एवं संख्यावार पूर्ण विवरण "**परिशिष्ट– VII**" संलग्न है। (यदि भविष्य में आवश्यकता होती है, तो दिये गये विवरण के अतिरिक्त ट्रकों/छोटे वाणिज्यिक वाहनों की क्षमता व संख्या विभागीय आवश्यकता के अनुसार कम/अधिक भी हो सकती है)।

(प्रेम प्रकाश त्रिपाठी)
अनुभाग अधिकारी,
खाद्य एवं रसद अनुभाग-6,
उत्तर प्रदेश शासन।

4.2. हैण्डलिंग कार्य –

ई–टेण्डर के माध्यम से चयनित ठेकेदार को विभाग द्वारा किये जाने वाले सीजनल कार्य यथा–खरीफ एवं रबी विपणन वर्ष में धान/गेहूं/मोटे अनाज/मिलेट्स के क्रय केन्द्रों पर खाद्यान्न की हैण्डलिंग का कार्य करना होगा तथा आवश्यकतानुसार भविष्य में राज्य एवं भारत सरकार द्वारा कोई योजना लागू किये जाने की स्थिति में, उस योजना से सम्बन्धित हैण्डलिंग कार्य भी करना होगा। भारत सरकार के पत्र सँख्या 191(1)/2019–FC&ACs Part File 1 दिनाँक 24.02.2020 द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार क्रय केन्द्रों पर खाद्यान्न की हैण्डलिंग कार्य में कृषक द्वारा लाये गए खाद्यान्न का उतार (यदि लागू हो), उसकी तौलाई, भराई, सिलाई तथा स्टैंसिलिंग/लेबलिंग एवं क्रय केन्द्रों से डिस्पैच के समय वाहनों में लोडिंग का कार्य सम्मिलित होगा।

5. कार्य की अवधि –

5.1. कार्य की अवधि कार्यादेश निर्गत होने की तिथि से 02 वर्ष की होगी।

5.2. अपरिहार्य स्थिति में सम्भागीय खाद्य नियंत्रक के अनुरोध पर आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ अधिकतम 03 माह की अतिरिक्त अवधि हेतु पूर्व स्वीकृत दर पर ठेका/कार्य की अवधि विस्तार किये जाने की अनुमति प्रदान कर सकेगें।

5.3. इसके उपरान्त ठेके की अवधि का विस्तार शासन के अनुमोदनोपरान्त किया जा सकेगा।

6. पात्रता की शर्तें –

6.1. "अ श्रेणी" के ठेकेदार हेतु –

6.1.1 यू0पी0एल0सी0 में पंजीकरण :– प्रत्येक हैण्डलिंग एवं परिवहन ठेकेदार को ई–टेण्डरिंग में प्रतिभाग करने हेतु शासनादेश संख्या–3/2017–1067/78–2–2017–42 आई0टी0/2017 दिनांक–12.05.2017 एवं प्रचलित शासनादेशों के अनुरूप यू0पी0 इलेक्ट्रानिकस् कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निर्धारित शुल्क जमा करके पंजीकरण एवं नियमानुसार नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा तथा ई–टेण्डरिंग में प्रतिभाग करने वाले सभी ठेकेदारों को उ0प्र0 सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था से निर्धारित शुल्क जमा कर डिजिटल सिग्नेचर बनवा कर टेण्डर में प्रतिभाग किया जायेगा।

(प्रेम प्रकाश त्रिपाठी)
अनुभाग अधिकारी,
खाद्य एवं रसद अनुभाग-6,
उत्तर प्रदेश शासन।

Scanned with OKEN Scanner

6.1.2. निविदादाता एक भारतीय नागरिक होना चाहिये।

6.1.3. निविदादाता ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. में पंजीकृत होना चाहिये।

6.1.4. निविदादाता के पास विगत 05 वर्षों में से किसी भी 03 वर्ष का प्रत्येक वर्ष रू0 50 लाख का खाद्य विभाग, सहयोगी एजेन्सी, सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग, केन्द्र व राज्य सरकार के निगम का कार्यानुभव अथवा विगत 05 वर्षों का औसत मिलाकर रू0 50 लाख का कार्यानुभव होना चाहिये। भागीदारी फर्म की स्थिति में फर्म का ही कार्यानुभव मान्य होगा तथा कम्पनी की दशा में कम्पनी का ही कार्यानुभव मान्य होगा।

6.1.5. निविदादाता की न्यूनतम हैसियत रू–50 लाख होनी चाहिये। भागीदारी फर्म की स्थिति में समस्त भागीदारों की संयुक्त हैसियत भी मान्य होगी एवं कम्पनी की दशा में कम्पनी की हैसियत मान्य होगी। निविदा प्रपत्र के साथ प्रचलित शासनादेशानुसार निर्धारित प्रारूप में सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत हैसियत प्रमाण–पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।

6.1.6. निविदादाता द्वारा ई–टेण्डर डालते समय अपने चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। निविदा प्रपत्र के साथ प्रचलित शासनादेशानुसार निर्धारित प्रारूप में सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत सभी सदस्यों/भागीदारों के चरित्र प्रमाण–पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। अन्य प्रदेश के निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत चरित्र प्रमाण–पत्र, उस प्रदेश के सक्षम प्राधिकारी के स्तर से निर्गत होना चाहिये। भागीदारी फर्म/कम्पनी के दशा में वहीं सदस्य/पार्टनर्स मान्य होगें, जिनके सम्बन्ध में रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स/कम्पनी एक्ट के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी से निर्गत विधिमान्य प्रमाण–पत्र/अभिलेख/डीड निविदादाता द्वारा उपलब्ध करायी गयी होगी।

6.1.7. निविदादाता द्वारा ई–टेण्डर डालते समय अपने आधार की प्रति अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। भागीदारी फर्म तथा कम्पनी की दशा में सभी सदस्यों/भागीदारों के आधार की प्रति अपलोड करने होंगे। भागीदारी फर्म/कम्पनी के दशा में वहीं सदस्य/पार्टनर्स मान्य होगें, जिनके सम्बन्ध में रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स/कम्पनी एक्ट के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी से निर्गत विधिमान्य प्रमाण–पत्र/अभिलेख/डीड निविदादाता द्वारा उपलब्ध करायी गयी होगी।

(प्रकाश त्रिपाठी)
अनुभाग अधिकारी,
खाद्य एवं रसद अनुभाग-6,

Scanned with OKEN Scanner

6.1.8. निविदादाता द्वारा अपनी आयकर विवरणी ई–टेण्डर डालते समय अपलोड की जायेगी, जिसमें विगत 03 वर्षों का आयकर रिटर्न, आडिटेड बैलेंस शीट (जहॉ, जो लागू हो), प्रॉफिट एण्ड लॉस एकाउन्ट/शिड्यूल, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (जहॉ जो लागू हो) एवं कम्पनी होने की दशा में आर0ओ0सी0 रिटर्न को अनिवार्य रूप से अपलोड किया जायेगा।

6.1.9. यदि भागीदारी फर्म/कम्पनी के गठन के 03 वर्ष पूर्ण न हुये हों तो वह उतने ही वर्षों का आयकर रिटर्न, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एण्ड लॉस एकाउन्ट/शिड्यूल, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आदि जमा करेगा, जो उस पर लागू हो। यदि कोई फर्म या कम्पनी नयी बनी हो तो सम्बन्धित व्यक्ति/समस्त भागीदारों को विगत 03 वर्षों का आयकर रिटर्न प्रस्तुत करना होगा।

6.1.10. निविदादाता द्वारा ई–टेण्डर डालते समय पैन एवं जी0एस0टी0 की प्रति अनिवार्य रूप से अपलोड किया जायेगा। भागीदारी फर्म होने की दशा में समस्त भागीदारों एवं फर्म का पैन देना अनिवार्य होगा तथा कम्पनी होने की दशा में कम्पनी का पैन देना अनिवार्य होगा।

6.1.11. निविदादाता को ई–टेण्डर के साथ रू–1,00,000/– प्रति ब्लॉक की दर से धरोहर धनराशि जमा करनी होगी। उक्त धरोहर धनराशि ई–टेण्डर नोटिस में दिये गये विवरणानुसार जमा की जायेगी तथा ई–टेण्डर के साथ उसका साक्ष्य भी अपलोड करना होगा।

6.1.12. निविदादाता द्वारा परिशिष्ट – II एवं परिशिष्ट – III पर दिये गये प्रारूपों के अनुसार शपथ–पत्र एवं घोषणा–पत्र भी अपलोड किया जाना अनिवार्य है।

6.1.13. निविदादाता हेतु ब्लाकों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न/चीनी के आवंटन के सापेक्ष स्वयं के ट्रकों एवं छोटे/हल्के वाणिज्यिक वाहनों की न्यूनतम अनिवार्यता निम्नवत् होगी, जिनकी क्षमता विभाग द्वारा संलग्न किये गये विवरण के अनुसार मान्य होगी (ट्रकों तथा छोटे–हल्के वाहनों की संख्या विभागीय आवश्यकता के अनुसार कम/अधिक भी हो सकती है) :–

क्र0	आवंटन	स्वयं के ट्रकों की अनिवार्यता	स्वयं के छोटे–हल्के वाणिज्यिक वाहनों की अनिवार्यता (03 टन से लेकर 09 टन से कम तक की भार क्षमता वाले)	स्वयं के कुल वाहनों की अनिवार्यता
1	2	3	4	5
1	6000 कु0 तक	2	1	3
2	6001 से 10,000 कु0 तक	3	1	4
3	10001 से 14,000 कु0 तक	4	2	6
4	14,000 कु0 से अधिक	5	3	8

(प्रेम प्रकाश त्रिपाठी)
अनुभाग अधिकारी,
खाद्य एवं रसद अनुभाग-6,
उत्तर प्रदेश शासन।

Scanned with OKEN Scanner

उपरोक्त तालिका में वर्णित वाहनों के अतिरिक्त, वाहनों की आवश्यकता के सम्बन्ध में विभाग द्वारा वाहनों का ब्लाकवार, क्षमतावार एवं संख्यावार पूर्ण विवरण ई–टेण्डर के **परिशिष्ट–VII** संलग्न है, जिसके अनुसार ट्रकें/वाहन उपलब्ध कराने हेतु ठेकेदार बाध्य होगा तथा यदि ठेकेदार को किराये पर ट्रक/वाहन लिये जाने की आवश्यकता पड़ती है, तो ठेकेदार द्वारा टेण्डर प्राप्त होने के उपरान्त 15 दिन के भीतर किराये के ट्रक/वाहन के रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, इन्श्योरेन्स, सम्बन्धित अद्यतन टैक्स की रसीद आदि किरायेनामे सहित उपलब्ध कराने होगें, अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित ठेकेदार का अभ्यर्थन/टेण्डर/ठेका निरस्त कर दिया जायेगा, जिसके लिये ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होगा।

6.1.14. एक ब्लाक हेतु निर्धारित कुल ट्रकों/वाहनों (01 सेट) के आधार पर एल–1 की स्थिति में ठेकेदार से लिखित सहमति प्राप्त करके एक ब्लॉक का कार्य आवंटित हो सकेगा। ट्रकों/वाहनों के एक ब्लॉक के अपेक्षित सेट के आधार पर टेण्डरदाता अधिकतम 03 ब्लाक केन्द्रों/क्षेत्रों में टेण्डर डाल सकेगा एवं यदि एल–1 की स्थिति में आता है तो उसे नियमानुसार एक केन्द्र आवंटित हो जायेगा। ट्रकों की अधिक संख्या होने पर व एल–1 की स्थिति में ट्रकों की संख्या के समानुपात एवं ब्लाक हेतु अपेक्षित ट्रकों की संख्या के दृष्टिगत एक से अधिक ब्लॉक का कार्य आवंटित हो सकेगा। जिन वाहनों के सेट के आधार पर ठेकेदार को किसी ब्लॉक का ठेका प्राप्त हो जाता है तो उन वाहनों को किसी अन्य ब्लॉक के टेण्डर डालने में अंकित/प्रयोग नहीं किया जायेगा।

6.2. "ब श्रेणी" के ठेकेदार हेतु –

6.2.1. 'ब' श्रेणी के ठेकेदारों द्वारा प्रदेश में अधिकतम 02 ब्लाकों के लिये आवेदन किया जा सकता है। यदि ऐसे ठेकेदारों द्वारा 02 ब्लाकों के लिये आवेदन कर दिया गया है, तो उन्हें इससे अधिक ब्लाकों के लिये आवेदन का अवसर नहीं दिया जायेगा, परन्तु यदि उसके द्वारा किया गया कोई आवेदन असफल हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में, वो पुनः अधिकतम 02 ब्लॉकों की सीमा तक आवेदन किये जाने हेतु पात्र हो जायेगा।

6.2.2. प्रत्येक हैण्डलिंग एवं परिवहन ठेकेदार को ई–टेण्डरिंग में प्रतिभाग करने हेतु शासनादेश संख्या–3/2017–1067/78–2–2017–42 आई0टी0/2017 दिनांक–12.05.2017 एवं प्रचलित शासनादेशों के अनुरूप यू0पी0 इलेक्ट्रानिकस् कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निर्धारित शुल्क जमा करके पंजीकरण एवं नियमानुसार नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा तथा ई–टेण्डरिंग में प्रतिभाग करने वाले सभी ठेकेदारों को उ0प्र0 सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था से निर्धारित शुल्क जमा कर डिजिटल सिग्नेचर बनवा कर टेण्डर में प्रतिभाग किया जायेगा।

(ओम प्रकाश त्रिपाठी)
अनुभाग अधिकारी,
खाद्य एवं रसद अनुभाग-6,
उत्तर प्रदेश शासन।

6.2.3. निविदादाता एक भारतीय नागरिक होना चाहिये।

6.2.4. निविदादाता ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. में पंजीकृत होना चाहिये।

6.2.5. निविदादाता के पास विगत 05 वर्षों में से किसी भी 03 वर्ष का प्रत्येक वर्ष रू0 30 लाख का खाद्य विभाग, सहयोगी एजेन्सी, सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग, केन्द्र व राज्य सरकार के निगम का कार्यानुभव अथवा विगत 05 वर्षों का औसत मिलाकर रू0 30 लाख का कार्यानुभव होना चाहिये। भागीदारी फर्म की स्थिति में समस्त भागीदारों का संयुक्त अनुभव भी मान्य होगा।

6.2.6. यदि किसी निविदादाता के पास उपरोक्तानुसार कार्यानुभव नहीं है, तो उस स्थिति में टेण्डर स्वीकृत होने की दशा में उस ठेकेदार को 02 माह के बिल के समतुल्य प्रतिभूति धनराशि जमा करनी होगी।

6.2.7. निविदादाता की न्यूनतम हैसियत रू–30 लाख होनी चाहिये। भागीदारी फर्म की स्थिति में समस्त भागीदारों की संयुक्त हैसियत भी मान्य होगी। निविदा प्रपत्र के साथ प्रचलित शासनादेशानुसार निर्धारित प्रारूप में सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत हैसियत प्रमाण–पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।

6.2.8. निविदादाता द्वारा ई–टेण्डर डालते समय अपने चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। निविदा प्रपत्र के साथ प्रचलित शासनादेशानुसार निर्धारित प्रारूप में सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत सभी सदस्यों/भागीदारों के चरित्र प्रमाण–पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। अन्य प्रदेश के निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत चरित्र प्रमाण–पत्र, उस प्रदेश के सक्षम प्राधिकारी के स्तर से निर्गत होना चाहिये। भागीदारी फर्म/कम्पनी के दशा में वहीं सदस्य/पार्टनर्स मान्य होगें, जिनके सम्बन्ध में रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स/कम्पनी एक्ट के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी सें निर्गत विधिमान्य प्रमाण–पत्र/अभिलेख/डीड निविदादाता द्वारा उपलब्ध करायी गयी होगी।

6.2.9. निविदादाता द्वारा ई–टेण्डर डालते समय अपने आधार की प्रति अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। भागीदारी फर्म तथा कम्पनी की दशा में सभी सदस्यों/भागीदारों के आधार की प्रति अपलोड करने होंगे। भागीदारी फर्म/कम्पनी के दशा में वहीं सदस्य/पार्टनर्स मान्य होगें, जिनके सम्बन्ध में रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स/कम्पनी एक्ट के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी से निर्गत विधिमान्य प्रमाण–पत्र/अभिलेख/डीड निविदादाता द्वारा उपलब्ध करायी गयी होगी।

(प्रेम प्रकाश त्रिपाठी)
अनुभाग अधिकारी,
खाद्य एवं रसद अनुभाग-6,
उत्तर प्रदेश शासन।

Scanned with OKEN Scanner

6.2.10. निविदादाता द्वारा अपनी आयकर विवरणी ई–टेण्डर डालते समय अपलोड की जायेगी, जिसमें विगत 03 वर्षों का आयकर रिटर्न, आडिटेड बैलेंस शीट (जहॉ, जो लागू हो), प्रॉफिट एण्ड लॉस एकाउन्ट/शिड्यूल, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (जहॉ जो लागू हो) एवं कम्पनी होने की दशा में आर0ओ0सी0 रिटर्न को अनिवार्य रूप से अपलोड किया जायेगा।

6.2.11. यदि भागीदारी फर्म/कम्पनी के गठन के 03 वर्ष पूर्ण न हुये हों तो वह उतने ही वर्षों का आयकर रिटर्न, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एण्ड लॉस एकाउन्ट/शिड्यूल, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आदि जमा करेगा, जो उस पर लागू हो। यदि कोई फर्म या कम्पनी नयी बनी हो तो सम्बन्धित व्यक्ति/समस्त भागीदारों को विगत 03 वर्षों का आयकर रिटर्न प्रस्तुत करना होगा।

6.2.12. निविदादाता द्वारा ई–टेण्डर डालते समय पैन एवं जी0एस0टी0 की प्रति अनिवार्य रूप से अपलोड किया जायेगा। भागीदारी फर्म होने की दशा में समस्त भागीदारों एवं फर्म का पैन देना अनिवार्य होगा तथा कम्पनी होने की दशा में कम्पनी का पैन देना अनिवार्य होगा।

6.2.13. यदि किसी निविदादाता द्वारा पूरे प्रदेश में केवल 02 या उससे कम ब्लाकों हेतु टेण्डर डाला जाता है तो उस स्थिति में ब्लाकों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न/चीनी के आवंटन के सापेक्ष स्वयं के ट्रकों एवं छोटे/हल्के वाणिज्यिक वाहनों की न्यूनतम अनिवार्यता निम्नवत् होगी, (ट्रकों तथा छोटे–हल्के वाहनों की संख्या विभागीय आवश्यकता के अनुसार कम/अधिक भी हो सकती है) :–

क्र0	आवंटन	स्वयं के ट्रकों की अनिवार्यता	स्वयं के छोटे–हल्के वाणिज्यिक वाहनों की अनिवार्यता (03 टन से लेकर 09 टन से कम तक की भार क्षमता वाले)	स्वयं के कुल वाहनों की अनिवार्यता
1	2	3	4	5
1	6000 कु0 तक	1	0	1
2	6001 से 10,000 कु0 तक	1	1	2
3	10001 से 14,000 कु0 तक	2	1	3
4	14,000 कु0 से अधिक	2	2	4

वाहनों की आवश्यकता के सम्बन्ध में विभाग द्वारा वाहनों का ब्लाकवार, क्षमतावार एवं संख्यावार पूर्ण विवरण ई–टेण्डर के आमंत्रित करते समय दिया जायेगा, जिसके अनुसार ट्रकें/वाहन उपलब्ध कराने हेतु ठेकेदार बाध्य होगा तथा यदि ठेकेदार को किराये पर ट्रक/वाहन लिये जाने की आवश्यकता पड़ती है, तो ठेकेदार द्वारा टेण्डर प्राप्त होने के उपरान्त 15 दिन के भीतर किराये के ट्रक/वाहन के रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, इन्श्योरेन्स, सम्बन्धित अद्यतन टैक्स की रसीद आदि किरायेनामे सहित उपलब्ध कराने होगें, अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित ठेकेदार का अभ्यर्थन/टेण्डर/ठेका निरस्त कर दिया जायेगा, जिसके लिये ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होगा।

(श्री प्रकाश त्रिपाठी)
अनुभाग अधिकारी

6.2.14. एक ब्लाक हेतु निर्धारित कुल ट्रकों/वाहनों (01 सेट) के आधार पर एल–1 की स्थिति में ठेकेदार से लिखित सहमति प्राप्त करके एक ब्लॉक का कार्य आवंटित हो सकेगा। ट्रकों/वाहनों के एक ब्लॉक के अपेक्षित सेट के आधार पर टेण्डरदाता अधिकतम 03 ब्लाक केन्द्रों/क्षेत्रों में टेण्डर डाल सकेगा एवं यदि एल–1 की स्थिति में आता है तो उसे नियमानुसार एक केन्द्र आवंटित हो जायेगा। ट्रकों की अधिक संख्या होने पर व एल–1 की स्थिति में ट्रकों की संख्या के समानुपात एवं ब्लाक हेतु अपेक्षित ट्रकों की संख्या के दृष्टिगत एक से अधिक ब्लॉक का कार्य आवंटित हो सकेगा। जिन वाहनों के सेट के आधार पर ठेकेदार को किसी ब्लॉक का ठेका प्राप्त हो जाता है तो उन वाहनों को किसी अन्य ब्लॉक के टेण्डर डालने में अंकित/प्रयोग नहीं किया जायेगा।

6.2.15. उक्त तालिका में वर्णित ट्रकों/वाहनों की न्यूनतम उपलब्धता होने पर ठेकेदार तकनीकी बिड हेतु अर्ह तो होगा, परन्तु ठेकेदार को विभाग द्वारा सम्बन्धित ब्लाक हेतु अंकित क्षमता एवं संख्या के अनुसार स्वयं/किराये के ट्रकों/वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करानी होगी।

6.2.16. यदि किसी निविदादाता द्वारा पूरे प्रदेश में केवल 02 या उससे कम ब्लाकों हेतु टेण्डर डाला जाता है तो उस स्थिति में निविदादाता को परिशिष्ट–IV में दिये गये प्रारूप पर इस आशय का शपथ पत्र (रू0 10/– के नान जुडीशियल स्टैम्प पर नोटरी द्वारा प्रमाणित) भी उपलब्ध कराना होगा कि उसके द्वारा पूरे प्रदेश में केवल 02 या उससे कम ब्लाकों पर ही आवेदन किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार ठेका निरस्तीकरण/ब्लैक लिस्टिंग आदि की कार्यवाही की जायेगी।

6.2.17. निविदादाता को ई–टेण्डर के साथ रू–60000/– प्रति ब्लॉक की दर से धरोहर धनराशि जमा करनी होगी। उक्त धरोहर धनराशि ई–टेण्डर नोटिस में दिये गये विवरणानुसार जमा की जायेगी तथा ई–टेण्डर के साथ उसका साक्ष्य भी अपलोड करना होगा।

6.2.18. निविदादाता द्वारा परिशिष्ट – II एवं परिशिष्ट – III पर दिये गये प्रारूपों के अनुसार शपथ–पत्र एवं घोषणा–पत्र भी अपलोड किया जाना अनिवार्य है।

6.3. हैण्डलिंग कार्य हेतु –

6.3.1. निविदादाता एक भारतीय नागरिक होना चाहिये।

6.3.2. निविदादाता ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. में पंजीकृत होना चाहिये।

(प्रेम प्रकाश त्रिपाठी)
अनुभाग अधिकारी,
खाद्य एवं रसद अनुभाग-6,
उत्तर प्रदेश शासन।

Scanned with OKEN Scanner

6.3.3. निविदादाता द्वारा ई–टेण्डर डालते समय अपने चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। निविदा प्रपत्र के साथ प्रचलित शासनादेशानुसार निर्धारित प्रारूप में सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत सभी सदस्यों/भागीदारों के चरित्र प्रमाण–पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। अन्य प्रदेश के निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत चरित्र प्रमाण–पत्र, उस प्रदेश के सक्षम प्राधिकारी के स्तर से निर्गत होना चाहिये। भागीदारी फर्म/कम्पनी के दशा में वहीं सदस्य/पार्टनर्स मान्य होगें, जिनके सम्बन्ध में रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स/कम्पनी एक्ट के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी से निर्गत विधिमान्य प्रमाण–पत्र/अभिलेख/डीड निविदादाता द्वारा उपलब्ध करायी गयी होगी।

6.3.4. निविदादाता द्वारा ई–टेण्डर डालते समय अपने आधार की प्रति अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। सभी सदस्यों/भागीदारों के अपलोड करने होंगे। भागीदारी फर्म/कम्पनी के दशा में वहीं सदस्य/पार्टनर्स मान्य होगें, जिनके सम्बन्ध में रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स/कम्पनी एक्ट के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी से निर्गत विधिमान्य प्रमाण–पत्र/अभिलेख/डीड निविदादाता द्वारा उपलब्ध करायी गयी होगी।

6.3.5. निविदादाता की न्यूनतम हैसियत रू–30 लाख होनी चाहिये। भागीदारी फर्म की स्थिति में समस्त भागीदारों की संयुक्त हैसियत मान्य होगी। निविदा प्रपत्र के साथ प्रचलित शासनादेशानुसार निर्धारित प्रारूप में सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत हैसियत प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

6.3.6. निविदादाता के पास विगत 05 वर्षों में से किसी भी 03 वर्ष का प्रत्येक वर्ष रू0 05 लाख का खाद्य विभाग, सहयोगी एजेन्सी, सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग, केन्द्र व राज्य सरकार के निगम का कार्यानुभव अथवा विगत 05 वर्षों का औसत मिलाकर रू0 05 लाख का कार्यानुभव होना चाहिये। भागीदारी फर्म की स्थिति में समस्त भागीदारों का संयुक्त अनुभव भी मान्य होगा।

6.3.7. यदि किसी निविदादाता के पास उपरोक्तानुसार कार्यानुभव नहीं है, तो उस स्थिति में टेण्डर स्वीकृत होने की दशा में उस ठेकेदार को 02 माह के बिल के समतुल्य प्रतिभूति धनराशि जमा करनी होगी।

(प्रेम प्रकाश त्रिपाठी)
अनुभाग अधिकारी,

6.3.8. निविदादाता द्वारा अपनी आयकर विवरणी ई–टेण्डर डालते समय अपलोड की जायेगी, जिसमें विगत 03 वर्षों का आयकर रिटर्न, आडिटेड बैलेंस शीट (जहॉ, जो लागू हो), प्रॉफिट एण्ड लॉस एकाउन्ट/शिड्यूल, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (जहॉ जो लागू हो) एवं कम्पनी होने की दशा में आर0ओ0सी0 रिटर्न को अनिवार्य रूप से अपलोड किया जायेगा।

6.3.9. यदि भागीदारी फर्म/कम्पनी के गठन के 03 वर्ष पूर्ण न हुये हों तो वह उतने ही वर्षों का आयकर रिटर्न, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एण्ड लॉस एकाउन्ट/शिड्यूल, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आदि जमा करेगा, जो उस पर लागू हो। यदि कोई फर्म या कम्पनी नयी बनी हो तो सम्बन्धित व्यक्ति/समस्त भागीदारों को विगत 03 वर्षों का आयकर रिटर्न प्रस्तुत करना होगा।

6.3.10. निविदादाता द्वारा ई–टेण्डर डालते समय पैन एवं जी0एस0टी0 की प्रति अनिवार्य रूप से अपलोड किया जायेगा। भागीदारी फर्म होने की दशा में समस्त भागीदारों एवं फर्म का पैन देना अनिवार्य होगा तथा कम्पनी होने की दशा में कम्पनी का पैन देना अनिवार्य होगा।

6.3.11. निविदादाता को ई–टेण्डर के साथ रू–30000/– प्रति केंद्र की दर से धरोहर धनराशि जमा करनी होगी। उक्त धरोहर धनराशि ई–टेण्डर नोटिस में दिये गये विवरणानुसार जमा की जायेगी तथा ई–टेण्डर के साथ उसका साक्ष्य भी अपलोड करना होगा।

6.3.12. निविदादाता द्वारा परिशिष्ट – II, परिशिष्ट – III एवं परिशिष्ट – IV पर दिये गये प्रारूपों के अनुसार शपथ–पत्र एवं घोषणा–पत्र भी अपलोड किया जाना अनिवार्य है।

7. ई–टेंडर के साथ जमा किये जाने वाले प्रपत्रों की सूची –

ई–टेंडर में पात्रता हेतु निविदादाता द्वारा जमा किये जाने वाले प्रपत्रों की सूची परिशिष्ट –V पर संलग्न है। निविदादाता द्वारा सभी प्रपत्रों की स्व–हस्ताक्षरित प्रति अपलोड करनी होगी।

8. अनर्हता की स्थितियाँ –

8.1. वर्तमान में कार्यरत आढती, गल्ला व्यापारी, मण्डी समिति /वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत खाद्यान्न/चीनी के लाइसेन्सी, उचित दर विक्रेता, मिट्टी के तेल का थोक विक्रेता, चावल मिलर, फ्लोर मिलर, एफ0पी0ओ0, एफ0पी0सी0 एवं अधिवक्ता उक्त हेतु अनर्ह होगें।

(प्रेम प्रकाश त्रिपाठी)
अनुभाग अधिकारी,
खाद्य एवं रसद अनुभाग-6,
उत्तर प्रदेश शासन।

Scanned with OKEN Scanner

8.2. वर्तमान में कार्यरत आढती, गल्ला व्यापारी, मण्डी समिति/वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत खाद्यान्न/चीनी के लाइसेन्सी, उचित दर विकेता, मिट्टी के तेल का थोक विकेता, चावल मिलर, फ्लोर मिलर, एफ0पी0ओ0, एफ0पी0सी0 एवं उनके परिवारीजन, जिसमें उत्तर प्रदेश पी0डी0एस0 कन्ट्रोल आर्डर, 2016 में दी गयी परिभाषा के अनुसार सम्मिलित परिवारीजन अनर्ह होगें, जो निम्नवत् हैं :–

8.2.1. परिवार का मुखिया।पति/पत्नी विधिक रूप से अपनाये गये दत्तक सन्तान सहित

8.2.2. वयस्क सन्तान जो परिवार के मुखिया पर पूर्ण रूप से आश्रित हो

8.2.3. अविवाहित अथवा विधिक रूप से पृथक अथवा विधवा बेटी, जो पूर्ण रूप से आश्रित हो

8.2.4. परिवार के मुखिया के पूर्ण रूप से आश्रित माता–पिता।

8.3. ऐसे भागीदार ठेकेदार अथवा उनके परिवारीजन, जो पूर्व में खाद्य विभाग अथवा भारतीय खाद्य निगम अथवा सहयोगी क्रय एजेन्सी से ब्लैक लिस्ट हुये हों, के सहभागिता की फर्म या कम्पनी निविदा आवेदन हेतु अनर्ह होंगे।

8.4. ऐसा ठेकेदार जिसने विभाग से प्राप्त ठेके का कार्य करते समय किसी कालाबाजारी अथवा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाया गया हो अथवा उसने ठेके को किसी अन्य को सबलेट किया हो तथा ऐसा व्यक्ति जिसके विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 के उपबन्धों के अधीन दोष सिद्ध हो, उसे आवेदन हेतु अनर्ह माना जायेगा।

8.5. माफिया गतिविधियों मे लिप्त व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी, नाबालिग एवं बार काउन्सिल में रजिस्टर्ड अधिवक्ता, एफ0पी0ओ0/एफ0पी0सी0 टेण्डर प्रकिया में भाग नहीं ले सकेगें।

9. निविदा शुल्क –

सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, ... द्वारा ब्लाक–..... जनपद–.....हेतु उत्तर प्रदेश शासन के ई–टेण्डर पोर्टल "http://etender.up.nic.in" पर ई–टेण्डर के माध्यम से निविदा आमंत्रित की जा रही है। इच्छुक निविदादाता द्वारा निर्धारित निविदा का शुल्क रू0 ..... जमा करते हुये निविदा डाली जा सकेगी।

(प्रेम प्रकाश त्रिपाठी)

Scanned with OKEN Scanner

10. धरोहर राशि –

10.1. निविदादाता को ई–टेण्डर के साथ नीचे दिए गए विवरणानुसार धरोहर धनराशि जमा करनी होगी। उक्त धरोहर धनराशि ई–टेण्डर नोटिस में दिये गये विवरणानुसार जमा की जायेगी तथा ई–टेण्डर के साथ उसका साक्ष्य भी अपलोड करना होगा।

"अ श्रेणी" के ठेकेदार हेतु –रू–100000/– प्रति ब्लॉक की दर से धरोहर धनराशि जमा करनी होगी।

"ब श्रेणी" के ठेकेदार हेतु –रू–60000/– प्रति ब्लॉक की दर से धरोहर धनराशि जमा करनी होगी।

हैण्डलिंग कार्य हेतु –रू–30000/– प्रति केंद्र की दर से धरोहर धनराशि जमा करनी होगी।

10.2. असफल निविदादाता द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि को उसके द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने के यथासम्भव 01 माह के भीतर वापस कर दिया जायेगा।

11. प्रतिभूति राशि –

11.1. अपेक्षित कार्यानुभव की अर्हता रखने वाले ठेकेदारों को एक माह के बिल के समतुल्य धनराशि जमा करनी होगी।

11.2. 'ब श्रेणी' के ठेकेदारों एवं हैण्डलिंग ठेकेदारों के मामले में अपेक्षित कार्यानुभव की अर्हता न रखने वाले ठेकेदारों को दो माह के बिल के समतुल्य धनराशि जमा करनी होगी।

11.3. निविदा स्वीकृत होने पर सम्बन्धित निविदादाता को निर्धारित प्रतिभूति धनराशि नियमानुसार प्रस्तुत करनी होगी। ऐसा न करने पर ठेका निरस्त करते हुये निविदा की धरोहर धनराशि विभाग के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।

12. निविदा प्रस्तुत करना –

12.1. निविदा दो भागों अर्थात तकनीकी बिड और वित्तीय बिड में ऑनलाइन प्रस्तुत की जाएगी।

12.2. निविदा दस्तावेज की प्रति ऑनलाइन अपलोड की जायेगी तथा इसके हर पृष्ठ पर निविदादाता के सीलयुक्त हस्ताक्षर होंगे। निविदादाता को विधिवत हस्ताक्षरित सहायक दस्तावेजों के साथ निविदा दस्तावेज (वित्तीय बिड को छोड़कर) स्कैन करके पोर्टल में अपेक्षित स्थानों पर अपलोड करना होगा।

(प्रेम प्रकाश त्रिपाठी)
अनुभाग अधिकारी,
खाद्य एवं रसद अनुभाग-6,
उत्तर प्रदेश शासन।

Scanned with OKEN Scanner

12.3. तकनीकी बिड में निम्नलिखित शामिल होंगे –

12.3.1. परिशिष्ट–I के रूप में संलग्न आवेदन पत्र।

12.3.2. आर0एफ0पी0 के सभी संलग्न परिशिष्ट प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत हस्ताक्षरित।

12.3.3. 'ब' श्रेणी ठेकेदार की स्थिति में परिशिष्ट–IV पर संलग्न प्रारूप में शपथ–पत्र।

12.3.4. धरोहर राशि जमा विवरण रसीद सहित।

12.3.5. परिशिष्ट–V में प्रारूप के अनुसार दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति।

12.4. निविदा शुल्क एवं धरोहर धनराशि आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0/ऑनलाइन के माध्यम से विभागीय बैंक खाते में जमा की जायेगी, जिसकी रसीद/साक्ष्य अपलोड करनी होगी।

12.5. अपूर्ण भरे होने पर एवं बिना डिजिटल सिग्नेचर की प्राप्त निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी।

12.6. निविदा में निविदादाताओं द्वारा किसी प्रकार की कन्डीशन (शर्त) का उल्लेख किया जाना वर्जित है।

12.7. निर्धारित तिथि व समय के बाद प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

12.8. सम्भागीय खाद्य नियंत्रक को बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत तथा आमंत्रित निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

12.9. निविदादाता को ब्लाकवार अलग–अलग निविदा देनी होगी। एक निविदा फार्म पर एक से अधिक ब्लाक के कार्य के लिये निविदा मान्य नहीं होगी और वह अस्वीकृत कर दी जायेगी।

12.10. निविदादाता को बी0ओ0क्यू0 (BOQ) के माध्यम से वित्तीय बिड (Financial Bid) अपेक्षित स्थान पर अपलोड करना होगा। इस हेतु सैम्पल प्रारूप **परिशिष्ट–VI** के रूप में संलग्न है।

(प्रेम प्रकाश त्रिपाठी)
अनुभाग अधिकारी
खाद्य एवं रसद अनुभाग-6,
उत्तर प्रदेश, शासन।

Scanned with OKEN Scanner

13. निविदाओं का परीक्षण –

13.1. निविदाओं के मूल्याँकन हेतु संभाग स्तर पर निम्न निविदा समिति का गठन किया जाएगा–

i.	सम्भागीय खाद्य नियंत्रक	– अध्यक्ष
ii.	सम्भागीय वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी (खाद्य)	– सदस्य
iii.	सम्भागीय खाद्य विपणन अधिकारी	– सदस्य
iv.	संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त (खाद्य)	– सदस्य
v.	मण्डल मुख्यालय के जिलाधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि	– सदस्य

13.2. सर्वप्रथम तकनीकी निविदाओं का मूल्याँकन किया जाएगा तथा आर०एफ०पी० में निर्धारित तकनीकी पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत वित्तीय बिडों को ही खोला जाएगा।

13.3. यदि टेण्डर में प्राप्त एल–1 की प्रस्तावित दर, शिड्यूल की दर से 10 प्रतिशत उच्च सीमा तक आती है, तो सम्बन्धित सम्भागीय खाद्य नियंत्रक एल–1 की दर को, औचित्य का परीक्षण कर स्वीकृत कर सकेंगें।

13.4. यदि टेण्डर में प्राप्त एल–1 की प्रस्तावित दर शिड्यूल की दर से 10 प्रतिशत उच्च सीमा से और अधिक आती है, तो मण्डलायुक्त से औचित्य का परीक्षण कराकर दरों की स्वीकृति प्राप्त कर एल–1 ठेकेदार की नियुक्ति सम्बन्धित सम्भागीय खाद्य नियंत्रक कर सकेंगे।

13.5. एक ब्लाक हेतु निर्धारित कुल ट्रकों/वाहनों (01 सेट) के आधार पर एल–1 की स्थिति में ठेकेदार से लिखित सहमति प्राप्त करके एक ब्लॉक का कार्य आवंटित हो सकेगा। ट्रकों/वाहनों के एक ब्लॉक के अपेक्षित सेट के आधार पर टेण्डरदाता अधिकतम 03 ब्लाक केन्द्रों/क्षेत्रों में टेण्डर डाल सकेगा एवं यदि एल–1 की स्थिति में आता है तो उसे नियमानुसार एक केन्द्र आवंटित हो जायेगा। ट्रकों की अधिक संख्या होने पर व एल–1 की स्थिति में ट्रकों की संख्या के समानुपात एवं ब्लाक हेतु अपेक्षित ट्रकों की संख्या के दृष्टिगत एक से अधिक ब्लॉक का कार्य आवंटित हो सकेगा। जिन वाहनों के सेट के आधार पर ठेकेदार को किसी ब्लॉक का ठेका प्राप्त हो जाता है तो उन वाहनों को किसी अन्य ब्लॉक के टेण्डर डालने में अंकित/प्रयोग नहीं किया जायेगा।

(प्रेम प्रकाश त्रिपाठी)
अनुभाग अधिकारी,
खाद्य एवं रसद अनुभाग-6,
उत्तर प्रदेश शासन।

Scanned with OKEN Scanner

14. ठेकेदार का उत्तरदायित्व –

14.1. सिंगल स्टेज परिवहन व्यवस्थान्तर्गत ब्लाकवार ठेकेदार नियुक्त किया जायेगा, जो भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना का खाद्यान्न परिवहन कराकर सीधे उचित दर विक्रेताओं की दुकान तक निर्धारित मार्ग से पहुँचायेगा एवं उचित दर विक्रेताओं की दुकान पर अनलोडिंग कराते हुये तौल सहित खाद्यान्न प्राप्त कराने का कार्य करेगा।

14.2. निविदादाता हेतु ब्लाकों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न/चीनी के आवंटन के सापेक्ष स्वयं के ट्रकों एवं छोटे/हल्के वाणिज्यिक वाहनों की न्यूनतम अनिवार्यता निम्नवत् होगी, जिनकी क्षमता विभाग द्वारा संलग्न किये गये विवरण के अनुसार मान्य होगी (ट्रकों तथा छोटे–हल्के वाहनों की संख्या विभागीय आवश्यकता के अनुसार कम/अधिक भी हो सकती है) :–

क्र0	आवंटन	स्वयं के ट्रकों की अनिवार्यता		स्वयं के छोटे–हल्के वाणिज्यिक वाहनों की अनिवार्यता (03 टन से लेकर 09 टन से कम तक की भार क्षमता वाले)		स्वयं के कुल वाहनों की अनिवार्यता	
		"अ" श्रेणी के ठेकेदार	"ब" श्रेणी के ठेकेदार	"अ" श्रेणी के ठेकेदार	"ब" श्रेणी के ठेकेदार	"अ" श्रेणी के ठेकेदार	"ब" श्रेणी के ठेकेदार
1	6000 कु0 तक	2	1	1	–	3	1
2	6001 से 10,000 कु0 तक	3	1	1	1	4	2
3	10001 से 14,000 कु0 तक	4	2	2	1	6	3
4	14,000 कु0 से अधिक	5	2	3	2	8	4

उपरोक्त तालिका में वर्णित वाहनों के अतिरिक्त, वाहनों की आवश्यकता के सम्बन्ध में विभाग द्वारा वाहनों का ब्लाकवार, क्षमतावार एवं संख्यावार पूर्ण विवरण ई–टेण्डर आमंत्रित करते समय **परिशिष्टि–VII** में दिया जायेगा, जिसके अनुसार ट्रकें/वाहन उपलब्ध कराने हेतु ठेकेदार बाध्य होगा तथा यदि ठेकेदार को किराये पर ट्रक/वाहन लिये जाने की आवश्यकता पड़ती है, तो ठेकेदार द्वारा टेण्डर प्राप्त होने के उपरान्त 15 दिन के भीतर किराये के ट्रक/वाहन के रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, इन्श्योरेन्स, सम्बन्धित अद्यतन टैक्स की रसीद आदि किरायेनामे सहित उपलब्ध कराने होगें, अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित ठेकेदार का अभ्यर्थन/टेण्डर/ठेका निरस्त कर दिया जायेगा, जिसके लिये ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होगा।

(प्रेम प्रकाश त्रिपाठी)
अनुभाग अधिकारी,
खाद्य एवं रसद अनुभाग-6,

Scanned with OKEN Scanner

14.3. उपरोक्त तालिकाओं में अंकित ट्रकों तथा छोटे–हल्के वाणिज्यिक वाहनों की अनिवार्यता के अतिरिक्त विभागीय आवश्यकता के दृष्टिगत बड़े एवं छोटे–हल्के वाणिज्यिक वाहनों की संख्या कम/अधिक भी हो सकती है, जिनकी क्षमता एवं संख्या के सम्बन्ध में विभाग द्वारा सम्बन्धित ब्लॉक के ठेकेदार को अवगत कराया जायेगा एवं सम्बन्धित ब्लॉक का ठेकेदार उसे उपलब्ध कराने हेतु बाध्य होगा।

14.4. सिंगल स्टेज परिवहन योजना के प्रत्येक ठेकेदार को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विभाग द्वारा चयनित जी0पी0एस0 सेवा प्रदाता से स्वयं तथा किराये के प्रत्येक वाहनों में जी0पी0एस0 सिस्टम लगवाना अनिवार्य होगा। सेवा प्रदाता का कार्य वाहनों में जी0पी0एस0 सिस्टम लगाना, उसका मेनटेनेन्स व उसकी कन्ट्रोलिंग भी करना होगा। इस मद में आने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति ठेकेदार के बिल से समायोजित करते हुये, सेवा प्रदाता को की जायेगी। खाद्यान्न का परिवहन अनिवार्य रूप से जी0पी0एस0 युक्त वाहनों से ही कराया जायेगा तथा जी0पी0एस0 के रख–रखाव/मेनटेनेन्स का उत्तरदायित्व ठेकेदार का भी होगा।

14.5. छोटे–हल्के वाणिज्यिक वाहनों की भार क्षमता 03 टन से लेकर 09 टन से कम तक होगी।

14.6. ब्लॉकवार आवंटन/आवश्यकता के अनुसार बड़े एवं छोटे–हल्के वाणिज्यिक वाहनों की क्षमता एवं संख्या का स्पष्ट आंकलन संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त (खाद्य) द्वारा किया जायेगा तथा उसे टेण्डर नोटिस में अंकित किया जायेगा।

14.7. छोटे/हल्के वाणिज्यिक वाहनों की क्षमता एवं संख्या का आंकलन/निर्धारण भा0खा0नि0 डिपो की लोडिंग क्षमता एवं निर्धारित समय–सीमा के अन्दर खाद्यान्न के उठान के दृष्टिगत किया जायेगा।

14.8. ठेकेदार द्वारा टेण्डर में दिये गये किसी वाहनों में से यदि कोई वाहन (खराब होने अथवा अन्य किसी कारण आदि से) बदलने की आवश्यकता होती है, तो ठेकेदार के लिखित अनुरोध पर सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा वाहन बदला जा सकेगा।

14.9. निविदादाता को स्वयं के ट्रकों तथा छोटे–हल्के वाणिज्यिक वाहन के नम्बर, उनके रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, इन्श्योरेन्स, सम्बन्धित अद्यतन टैक्स की रसीद आदि अभिलेख परिवहन विभाग के मानक के अनुसार निविदा डालते समय ही अपलोड करने होगें। टेण्डर डालते समय समस्त अभिलेख वैध होने चाहिए तथा समयान्तर्गत अभिलेखों के नवीनीकरण का उत्तरदायित्व सम्बन्धित ठेकेदार का होगा।

(प्रेम प्रकाश त्रिपाठी)
अनुभाग अधिकारी,
खाद्य एवं रसद अनुभाग-6,
उत्तर प्रदेश शासन।

Scanned with OKEN Scanner

14.10. ठेकेदार द्वारा किराये पर लगाये गये ट्रक/वाहन को 01 साल के लिये अनिवार्य रूप से किराये पर लिया जाना होगा एवं विभाग द्वारा वांछित ट्रक/वाहन (उनके किरायेनामे सहित) टेण्डर प्राप्त होने के उपरान्त 15 दिन के भीतर, ठेकेदार द्वारा वाहन के नम्बर, उनके रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, इन्श्योरेन्स, सम्बन्धित अद्यतन टैक्स की रसीद आदि अभिलेख परिवहन विभाग के मानक के अनुसार विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा। ट्रक/वाहन के समस्त अभिलेख वैध होने चाहिए तथा समयान्तर्गत अभिलेखों के नवीनीकरण का उत्तरदायित्व सम्बन्धित ठेकेदार का होगा।

14.11. सिंगल स्टेज ठेकेदार को उचित दर विक्रेता के यहाँ खाद्यान्न प्राप्त कराने हेतु खाद्यान्न की तौलाई हेतु प्रत्येक ट्रक/वाहन पर न्यूनतम 50 कि0ग्रा0 का इलेक्ट्रानिक कांटा की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। परिवहनकर्ता द्वारा भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्न उठाकर सम्बन्धित उचित दर विक्रेताओं तक परिवहन कार्य (तौल/लोडिंग/अनलोडिंग एवं समस्त प्रकार के हैण्डलिंग व अन्य चार्जेज सहित) स्वीकृत दर पर किया जायेगा।

14.12. निविदा में निविदादाता द्वारा सी0वी0सी0 (CVC) की गाइडलाइन एवं प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (Procurement Manual) का पूर्ण पालन किया जायेगा।

14.13. हैण्डलिंग एवं परिवहन ठेके के कार्य हेतु कार्य आवंटन आदेश सक्षम स्तर से निर्गत होने के उपरान्त विलम्बतम 15 दिन के अन्दर नियुक्त हैण्डलिंग एवं परिवहन ठेकेदार को समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर योगदान कर कार्य प्रारम्भ करना होगा, अन्यथा सम्बन्धित ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

14.14. अनुबन्ध पत्र पर नियमानुसार देय स्टैम्प ड्यूटी ठेकेदार द्वारा स्वयं वहन की जायेगी।

14.15. जनपद के अन्दर संचरण के साथ–साथ रैक से प्राप्त खाद्यान्न/बोरा के संचरण तथा अर्न्तजनपदीय संचरण हेतु सड़क परिवहन के दौरान अनुमन्य सीमा से अधिक लोडिंग के लिये परिवहन ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होगा।

14.16. उचित दर विक्रेता से खाद्यान्न की पावती प्राप्त कर प्रेषण प्रभारी को पावती उपलब्ध कराने के पश्चात् ही ठेकेदार का कार्य पूर्ण माना जायेगा।

14.17. ठेकेदार को ट्रक/वाहन द्वारा तय की गयी वास्तविक तय दूरी तथा कुल वजन/मात्रा का भुगतान किया जायेगा। अर्थात यदि कोई ट्रक एक दिन में 03 कोटेदार का खाद्यान्न लेकर चलता है, तो उसे तीसरे एवं अन्तिम कोटेदार की दुकान तक पहुंचने में तय की गयी कुल वास्तविक दूरी या जी0पी0एस0 द्वारा दर्शायी गयी दूरी (जो न्यूनतम होगी) तथा कुल मात्रा (जो ठेकेदार द्वारा भा0खा0नि0 से लोड की गयी होगी), का भुगतान किया जायेगा।

(प्रेम प्रकाश त्रिपाठी)
अनुभाग अधिकारी,
खाद्य एवं रसद अनुभाग-6,
उत्तर प्रदेश शासन।

Scanned with OKEN Scanner

14.18. हैण्डलिंग एवं परिवहन ठेकेदार द्वारा उचित दर विक्रेता के पास उपलब्ध ई–पॉस मशीन/मोबाईल ऐप पर "कन्साईनमेण्ट" की प्राप्ति रसीद देनी होगी।

14.19. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्रयोग किये जाने वाले प्रत्येक वाहन पर "राज्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली का खाद्यान्न" बड़े शब्दों में लिखा जायेगा, जिन स्थानों के लिये खाद्यान्न जा रहा है, उसका नाम तथा शिकायत निवारण हेतु विभागीय ट्रोल फ्री नम्बर भी ट्रक पर इस प्रकार लिखा जायेगा कि आम जनमानस इसे आसानी से देख सके।

14.20. ठेकेदार को शासनादेशानुसार खाद्यान्न प्रेषण का रोस्टर, दुकानवार रूट चार्ट उपलब्ध कराया जायेगा, ताकि परिवहन ठेकेदार प्रत्येक ट्रिप हेतु आवश्यक भार क्षमता का वाहन लगा सके। ठेकेदारों को शासनादेशानुसार बड़े तथा छोटे–हल्के वाहनों की आवश्यकता की सूची टेण्डर के समय ही उपलब्ध करायी जायेगी एवं ठेकेदार को आवश्यकतानुसार वांछित बड़े ट्रकों तथा छोटे–हल्के वाहनों से खाद्यान्न/चीनी की आपूर्ति भी उचित दर विक्रेताओं को करनी होगी।

14.21. सिंगल स्टेज ठेकेदार द्वारा प्रत्येक दुकान तक खाद्यान्न डिलीवरी समय से की जायेगी, यदि किन्ही कारणों से ट्रक द्वारा निर्धारित राशन विक्रेता तक खाद्यान्न पहुंचने में देरी होती है, तो ठेकेदार द्वारा इसकी स्पष्ट सूचना सम्बन्धित अधिकारियों को देनी होगी तथा देरी का स्पष्ट कारण भी उल्लिखित करेगें। यदि विलम्ब अप्रत्याशित है तथा खाद्यान्न की मात्रा में कोई कमी परिलक्षित होती है, तो इसकी भरपाई सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा की जायेगी। यदि कोई ठेकेदार खाद्यान्न की कालाबाजारी में लिप्त पाया जाता है, तो उसके विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

14.22. सिंगल स्टेज ठेकेदार का यह दायित्व होगा कि वह उचित दर विक्रेता द्वारा प्रदत्त खाद्यान्न की प्राप्ति सम्बन्धित डिस्पैच प्रभारी को उपलब्ध करायेगा।

14.23. भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्न निर्गत होते ही भारतीय खाद्य निगम के डिपो पर तैनात प्रेषण प्रभारी द्वारा निकासी की रियल टाइम फीडिंग ऑनलाइन की जायेगी तथा वाहन चालक को प्रदत्त टी0सी0डी0सी0 में ऑनलाइन डिस्पैच आई0डी0 का अंकन किया जायेगा।

14.24. उचित दर विक्रेताओं को पूर्ण बोरे में खाद्यान्न की प्राप्ति करायी जानी होगी, जिसके अन्तर्गत उचित दर विक्रेताओं को उनके आवंटन के सापेक्ष पूर्ण बोरों में खाद्यान्न के वजन के आधार पर, आवंटित खाद्यान्न की प्राप्ति हो सके। उदाहरण के तौर पर यदि किसी उचित दर विक्रेता का आवंटन 50.25 कु0 या अधिक है, तो उसे 50.50 कु0 खाद्यान्न की प्राप्ति करा दी जायेगी एवं किसी उचित दर विक्रेता का आवंटन 50.25 कु0 से कम है, तो उसे 50.00 कु0 खाद्यान्न की प्राप्ति करायी जायेगी। सम्बन्धित उचित दर विक्रेता को कम या अधिक प्राप्त हुये खाद्यान्न का समायोजन अगले माह प्राप्त कराये जाने वाले खाद्यान्न से करा लिया जायेगा।

प्रेम प्रकाश त्रिपाठी
अनुभाग अधिकारी,
खाद्य एवं रसद अनुभाग-6,
उत्तर प्रदेश शासन।

Scanned with OKEN Scanner

14.25. पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी के पाटनर्स/सदस्यों में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है, तो परिवर्तन के सम्बन्ध में रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स/कम्पनी एक्ट के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी के स्तर से निर्गत विधिमान्य प्रमाण–पत्र/अभिलेख/डीड ही मान्य होगें, अन्यथा कि स्थिति में ठेकेदार का ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।

14.26. उक्त के अतिरिक्त इस सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार समय–समय पर शासन एवं आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश मान्य होगें। साथ ही सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी के कियान्वयन एवं टेण्डर हेतु विभाग में प्रचलित शासनादेश संख्या–मु0अ0.34/29–6–2021–85 सा/2017 दिनांक–09.03.2021 (यथा संशोधित), शासनादेश संख्या–878/29–6–2021–85सा/17 दिनांक–14.06.2021 (यथा संशोधित), शासनादेश संख्या–1555/29–6–2021 दिनांक 03.09.2021 के संगत प्राविधान तथा समय–समय पर प्रचलित शासनादेशों द्वारा निर्गत नीति तथा परिवहन एवं हैण्डलिंग ठेकेदारों नियुक्ति हेतु निर्धारित समस्त प्राविधान, उपबन्ध, निर्देश, नियम व शर्तें लागू होगीं।

15. टेण्डर हेतु शिड्यूल दरें :–

15.1. सिंगल स्टेज परिवहन व्यवस्था के अन्तर्गत (हैण्डलिंग कार्यादि सम्मिलित) शिड्यूल व दरें निम्नवत् होगी :–

क्र0	स्लैब	दर
1.	0–08 किमी0	रू0 24.64 प्रति कु0
2.	08–20 किमी0	स्लैब संख्या–01 के अतिरिक्त रू0 1.17 प्रति कु0 प्रति कि0मी0
3.	20–40 किमी0	स्लैब संख्या–02 के अतिरिक्त रू0 0.93 प्रति कु0 प्रति किमी0
4.	40–80 किमी0	स्लैब संख्या–03 के अतिरिक्त रू0 0.77 प्रति कु0 प्रति कि0मी0
5.	80 किमी0 से अधिक दूरी हेतु	स्लैब संख्या–04 के अतिरिक्त रू0 0.63 प्रति कु0 प्रति कि0मी

15.2. हैण्डलिंग कार्य हेतु ठेकेदार को प्रचलित शासनादेशों के अन्तर्गत भुगतान देय होगा।

15.3. परिवहन कार्य में तौल/लोडिंग/अनलोडिंग एवं समस्त प्रकार के हैण्डलिंग व अन्य चार्जेज सम्मिलित हैं।

16. भुगतान –

16.1. टेण्डर प्राप्त होने के उपरान्त विभाग द्वारा ठेकेदार का पंजीकरण विभाग के ऑनलाइन सप्लाई चेन माड्यूल पर किया जायेगा, जिसके अन्तर्गत सम्बन्धित ठेकेदार को पंजीकरण संख्या/लॉगिन आई0 डी0 आदि का विवरण उपलब्ध कराया जायेगा।

(प्रेम प्रकाश त्रिपाठी)
अनुभाग अधिकारी,
खाद्य एवं रसद अनुभाग-6,
उत्तर प्रदेश शासन।

Scanned with OKEN Scanner

16.2. ऑनलाइन सप्लाई चेन पेमेन्ट मॉड्यूल के अन्तर्गत ठेकेदार के द्वारा अपनी लॉगिन आई0डी0 से पी0डी0एस0 ब्लाकवार/डिपोवार/माहवार बिल स्वीकृत दर के अनुसार जनरेट किये जायेगें, जिनका नियमानुसार एवं सम्भागीय खाद्य नियंत्रक के अनुमोदनोपरान्त भुगतान सम्भागीय वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी के द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं विभागीय प्रक्रियाओं को पूर्ण कराते हुये उक्त मॉड्यूल के माध्यम से पी0एफ0एम0एस0 द्वारा किया जायेगा। सम्भागीय लेखा कार्यालय में बिलों की ऑनलाइन प्राप्त प्रतियॉ सुरक्षित रखी जायेगीं।

16.3. ठेकेदार द्वारा ऑनलाइन बिलों के साथ ई0एस0आई0 तथा ई0पी0एफ0 आदि के रिटर्न की प्रतियों स्कैन कॉपी मॉड्यूल पर अपलोड की जायेगी।

16.4. ठेकेदार द्वारा ठेका अवधि समाप्त होने के 02 माह के भीतर अपने सभी बिल विभाग को प्रस्तुत करने होगें, ताकि प्रतिभूति धनराशि का निस्तारण शीघ्रता से किया जा सके।

16.1. ठेका अवधि समाप्त होने के उपरान्त तथा अनुबन्ध की शर्तों के अन्तर्गत ठेकेदार द्वारा सभी दायित्वों को पूरा करने पर एवं ठेकेदार के सम्बन्ध में समस्त अदेयता प्राप्त होने के उपरान्त यथासम्भव 01 माह के भीतर प्रतिभूति धनराशि ठेकेदारों को वापस करने के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। विभाग द्वारा प्रतिभूति धनराशि पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा।

16.2. ठेकेदार के ऊपर विभाग की कोई भी देयता होने की स्थिति में –

- ठेकेदार के पूर्व/वर्तमान बिलों से देयता की धनराशि का समायोजन किया जा सकेगा।
- सम्पूर्ण देयता का समायोजन न हो पाने की दशा में ठेकेदार की जमा प्रतिभूति धनराशि से वसूली की जा सकेगी।
- उक्त के पश्चात् भी ठेकेदार के ऊपर यदि कोई देयता अवशेष रह जाती है, तो ठेकेदार के उस सम्भाग में अन्य किसी भी कार्य के बिलों/जमा प्रतिभूति धनराशि से वसूली की जा सकेगी।
- उपरोक्त स्थिति के पश्चात् भी देयता बनने की दशा में प्रदेश में ठेकेदार द्वारा किये गये किसी भी कार्य के बिलों/जमा प्रतिभूति धनराशि से वसूली की जा सकेगी।

17. निविदा की शर्तों का उल्लंघन एवं कार्यवाही –

17.1. सफल निविदादाता द्वारा टेंडर की सभी शर्तो का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा। निविदा की शर्तों के उल्लंघन की दशा में विभाग ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा।

(प्रेम प्रकाश त्रिपाठी)
अनुभाग अधिकारी,
खाद्य एवं रसद अनुभाग-6,
उत्तर प्रदेश शासन।

Scanned with OKEN Scanner

17.2. ठेकेदार को प्रदत्त ठेका निरस्त करने/ब्लैक लिस्ट करने में अन्य कारणों के साथ–साथ निम्न कारण भी हो सकते है :–

- फर्जी अथवा गलत प्रमाण–पत्र व अन्य अभिलेख प्रस्तुत करना।
- शपथ–पत्र एवं घोषणा–पत्र में अंकित सूचना असत्य अथवा अपूर्ण जाने की स्थिति में।
- टेण्डर स्वीकार होने के उपरान्त असन्तोषजनक कियान्वयन करना।
- समय से परिवहन अथवा हैण्डलिंग कार्य न करना।
- वांछित प्रतिभूति की धनराशि जमा न करना।
- पर्याप्त मात्रा में श्रमिक (लेबर) अथवा स्टाफ न रखना।
- खाद्यान्न की कालाबाजारी/डायवर्जन आदि में लिप्त पाया जाना।
- पर्याप्त मात्रा में ट्रक व अन्य वांछित वाहन उपलब्ध न करा पाना।
- आपराधिक इतिहास पाया जाना।
- कार्य स्वयं न कर Sublet करना अथवा अन्य अनाधिकृत व्यक्तियों से कराया जाना।
- कार्य संचालन में आपराधिक व्यक्तियों को नियोजित करना।

17.3. किसी भी प्रकार उल्लंघन पाये जाने की दशा में यदि ठेका/आवेदन को निरस्त/अस्वीकार की स्थिति उत्पन्न होती है, तो सक्षम अधिकारी द्वारा इस हेतु सभी कारण लिखित में प्रस्तुत किये जायेगें।

17.4. ठेकेदार को प्रदत्त ठेका सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा निलम्बित/निरस्त किया जा सकता है। ठेका निरस्त करने के आदेश करने के पूर्व ठेकेदार को 'कारण बताओ नोटिस' देते हुये सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया जायेगा।

17.5. परिवहन के दौरान खाद्यान्न की क्षति/कमी होने की दशा में परिवहन ठेकेदार से खाद्यान्न की क्षतिपूर्ति की वसूली/कटौती उसी माह ठेकेदार के लम्बित बिल/विपत्रों से निम्न प्रकार से की जायेगी :–

- एक पूरे बोरे की हानि होने पर–आर्थिक लागत मूल्य का दोगुणा।
- एक बोरे में 25 प्रतिशत से अधिक हानि होने पर– आर्थिक लागत मूल्य का डेढ़गुणा।
- एक बोरे में 25 प्रतिशत या इससे कम हानि होने पर–आर्थिक लागत मूल्य के समतुल्य।

(प्रेम प्रकाश त्रिपाठी)
अनुभाग अधिकारी,
खाद्य एवं रसद अनुभाग-6,
उत्तर प्रदेश शासन।

17.6. यदि ठेकेदार द्वारा हैण्डलिंग/परिवहन व डोर स्टेप डिलीवरी आदि का कार्य नहीं किया जाता है, तो विभाग द्वारा उसके 'रिस्क एण्ड कास्ट' पर कार्य करा लिया जायेगा तथा कराये गये कार्य की लागत धनराशि से दो गुनी धनराशि सम्बन्धित ठेकेदार से वसूल की जायेगी।

17.7. रोस्टर के सापेक्ष विलम्ब से खाद्यान्न उठान करने की स्थिति में हैण्डलिंग एवं परिवहन ठेकेदार से रू0 05/– प्रति कुन्तल प्रतिदिन की दर से 'पेनाल्टी' बतौर राशि केन्द्र प्रभारी, क्षेत्रीय विपणन अधिकारी व जिला खाद्य विपणन अधिकारी की गुण–दोष के आधार पर प्रेषित संस्तुति पर सम्भागीय वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/सम्भागीय लेखाधिकारी द्वारा सम्भागीय खाद्य नियंत्रक के अनुमोदनोपरान्त वसूल की जायेगी।

17.8. सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्थान्तर्गत नियुक्त हैण्डलिंग एवं परिवहन ठेकेदार द्वारा उचित दर विक्रेता की दुकान तक डोर स्टेप डिलीवरी न करने की स्थिति में ठेकेदार से गुणदोष के आधार पर वसूली की जायेगी :–

क्र0	विवरण	कार्यवाही
1.	यदि ठेकेदार द्वारा उचित दर विक्रेता की दुकान हेतु निर्धारित जियो फेन्स से 1000 मीटर तक की दूरी पर खाद्यान्न की प्राप्ति दिये जाने पर।	रू0 500/– प्रति वाहन/कन्साइनमेण्ट के आधार पर धनराशि की वसूली/कटौती की जायेगी।
2.	01 कि0मी0 से 03 कि0मी0 तक की दूरी पर खाद्यान्न की प्राप्ति दिये जाने पर।	रू0 1000/– प्रति वाहन/कन्साइनमेण्ट के आधार पर धनराशि की वसूली/कटौती की जायेगी।
3.	03 कि0मी0 से 05 कि0मी0 तक की दूरी पर खाद्यान्न की प्राप्ति दिये जाने पर।	रू0 2000/– प्रति वाहन/कन्साइनमेण्ट के आधार पर धनराशि की वसूली/ कटौती की जायेगी।
4.	05 कि0मी0 तक की दूरी से भी अधिक पर।	सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा नोटिस /स्पष्टीकरण आदि निर्गत करते हुये ठेकेदार की प्रतिभूति धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा गुण–दोष के आधार पर ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार ठेका निरस्तीकरण/निलम्बन/ब्लैक लिस्टिंग आदि कार्यवाही की जायेगी।

17.9. चूंकि जी0पी0एस0 पोर्टल तथा विभागीय सप्लाई चेन मैनेजमेन्ट पोर्टल आपस में 'इन्टीग्रेटेड' होगें, अतः बिन्दु संख्या–17.8 पर उल्लिखित उल्लंघनों की स्थिति में ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत बिलों से उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत कटौतियों का प्राविधान उपलब्ध होगा, परन्तु किसी भी प्रकार की कटौती करने से पूर्व सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा ठेकेदार को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जायेगा। यदि किसी ठेकेदार को उपरोक्त के सम्बन्ध में दिये गये दण्ड हेतु कोई आपत्ति होगी, तो उसके द्वारा 15 दिवस के भीतर खाद्यायुक्त के स्तर पर अपील प्रस्तुत करनी होगी।

(प्रेम प्रकाश त्रिपाठी)
अनुभाग अधिकारी,
खाद्य एवं रसद अनुभाग-6,
उत्तर प्रदेश शासन।

Scanned with OKEN Scanner

17.10. परिवहनकर्ता को सौपें गये निर्धारित मात्रा के अनुसार एवं समान गुणवत्ता का खाद्यान्न/स्टाक गन्तव्य स्थान पर पहुँचाना अनिवार्य होगा। खाद्यान्न/स्टाक की मात्रा एवं गुणवत्ता में किसी तरह की मिलावट या अन्य कपटपूर्ण आचरण करने पर घटित हानि की वसूली हेतु हर सम्भव वैधानिक कार्यवाही की जायेगी, साथ ही परिवहनकर्ता के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करते हुये हानि की वसूली उसके बिलों/जमा प्रतिभूति धनराशि जब्त करते हुये, अवशेष हानि (धनराशि) की वसूली भू–राजस्व संहिता के प्राविधानों के अन्तर्गत की जायेगी।

17.11. ठेकेदार द्वारा राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा प्रचलित एवं समय–समय पर (यथा संशोधित) सभी नियमों और विनियमों/अधिनियमों के अन्तर्गत अपने दायित्वों के विचलन की स्थिति यदि विभाग की किसी प्रकार की देनदारी बनती है, तो ऐसी स्थिति में विभाग द्वारा ठेकेदार की देनदारी को प्रतिभूति धनराशि से समायोजित कर लिया जायेगा एवं प्रतिभूति की अवशेष धनराशि को विभाग के पक्ष में जब्त करते हुये ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार ठेका निरस्तीकरण/ब्लैक लिस्टिंग आदि की कार्यवाही की जायेगी। विभागीय देनदारी की धनराशि प्रतिभूति धनराशि से अधिक होने की स्थिति में अवशेष धनराशि की वसूली भू–राजस्व संहिता के प्राविधानों के अन्तर्गत की जायेगी।

17.12. ठेका प्राप्ति के उपरान्त सम्बन्धित ठेकेदारों को सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा दिये गये निर्देशानुसार में जी0पी0एस0 लगवाये जाने हेतु प्रत्येक दशा में निर्धारित समय के भीतर वांछित ट्रक/वाहन उपलब्ध कराने होगें। यदि सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा निर्धारित समयावधि में विभाग द्वारा वांछित ट्रक/वाहन (जिसमें छोटे वांछित वाहन भी सम्मिलित हैं) उपलब्ध न कराते हुये जी0पी0एस0 नहीं लगवाया जाता है, तो सम्बन्धित ठेकेदार के विरूद्ध निम्नवत् कार्यवाही की जायेगी :–

क्र0	विवरण	कार्यवाही
1.	ठेकेदार द्वारा यदि सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा दी गयी निर्धारित अवधि के पश्चात् 03–07 दिन तक वांछित ट्रक/वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाता है।	रू0 1000/– प्रति दिन प्रति ट्रक/वाहन के आधार पर धनराशि की वसूली/कटौती की जायेगी।
2.	07 से 15 दिन तक	रू0 2000/– प्रति दिन प्रति ट्रक/वाहन के आधार पर धनराशि की वसूली/कटौती की जायेगी।

(दीप प्रकाश त्रिपाठी)
अनुभाग अधिकारी,
खाद्य एवं रसद अनुभाग-6,
उत्तर प्रदेश शासन।

3.	15 दिन के पश्चात् भी यदि वांछित ट्रक/वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाता है	सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा नोटिस/स्पष्टीकरण आदि निर्गत करते हुये ठेकेदार की प्रतिभूति धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा गुण–दोष के आधार पर ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार ठेका निरस्तीकरण/निलम्बन/ब्लैक लिस्टिंग आदि कार्यवाही की जायेगी।

17.13. खाद्यान्न के उठान/प्रेषण में प्रयुक्त जी0पी0एस0 युक्त ट्रक/वाहन में सम्बन्धित ठेकेदार/उसके प्रतिनिधि/ड्राइवर आदि द्वारा जी0पी0एस0 से यदि कोई छेड़छाड़ (Tampering) या गड़बड़ी आदि की जाती है, तो सम्बन्धित ठेकेदार से रू0 5000/– प्रति जी0पी0एस0 की दर से वसूली की जायेगी, जिसके सम्बन्ध में सम्भागीय खाद्य नियंत्रक गुण–दोष के आधार पर निर्णय लेगें।

17.14. यदि किसी वाहन का जी0पी0एस0 ठेकेदार/उसके प्रतिनिधि/ड्राइवर आदि द्वारा जानबूझकर कर खराब/क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है, तो जी0पी0एस0 के मूल्य के समतुल्य धनराशि की वसूली सम्बन्धित ठेकेदार से की जायेगी तथा उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी जायेगी, जिसके सम्बन्ध में सम्भागीय खाद्य नियंत्रक गुण–दोष के आधार पर निर्णय लेगें।

17.15. यदि हैण्डलिंग/परिवहन ठेकेदार द्वारा कार्य निष्पादन के दौरान उसके किसी ट्रक के डाइवर्जन/कालाबाजारी का प्रकरण पाया जाता है, तो उसका ठेका/अनुबन्ध तत्काल निलम्बित करते हुये ठेकेदार के विरूद्ध आपराधिक मामला दर्ज कराकर अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी एवं उसके अनुबन्ध निरस्तीकरण एवं ब्लैक लिस्टिगं की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

17.16. यदि कोई ठेकेदार अथवा निविदादाता किसी अन्य निविदादाता को निविदा प्रकिया में सम्मिलित होने से रोकता या डराता/धमकाता है, तो दोषी ठेकेदार/निविदादाता की निविदा/आंवटित कार्य तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।

17.17. यदि हैण्डलिंग/परिवहन ठेकेदार द्वारा विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार, अपराध, मारपीट, अथवा धमकी दी जाती है, तो ठेकेदार का अनुबन्ध/ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।

(प्रेम प्रकाश त्रिपाठी)
अनुभाग अधिकारी,
खाद्य एवं रसद अनुभाग-6,
उत्तर प्रदेश शासन।

Scanned with OKEN Scanner

18. शिकायतों का निस्तारण –

तकनीकी बिडों के निरस्त किये जाने से सम्बन्धित एवं टेण्डर से सम्बन्धित शिकायतों हेतु अपीलार्थी द्वारा एक सप्ताह के भीतर मण्डलायुक्त को अपील प्रस्तुत की जा सकेगी। मण्डलायुक्त द्वारा यथा सम्भव एक सप्ताह के भीतर अपील का निस्तारण किया जायेगा एवं विशेष परिस्थितियों में 15 कार्यदिवस में अनिवार्य रूप से अपील पर निर्णय लिया जायेगा।

19. निविदादाता का कर्मियों के प्रति दायित्व –

19.1. ठेकेदार को राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा प्रचलित एवं समय–समय पर (यथा संशोधित) सभी नियमों और विनियमों/अधिनियमों का पालन करना होगा।

19.2. भारतीय फैक्टरी अधिनियम/कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम/कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम तथा अन्य समस्त लागू प्राविधिक अधिनियमों के अन्तर्गत, ठेकेदार द्वारा नियोजित सभी कर्मियों के, सभी अधिकार और देनदारियां स्वयं ठेकेदार की होगी।

19.3. उपरोक्त के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विचलन पाये जाने पर कार्यवाही की स्थिति में ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।

19.4. ठेकेदार द्वारा अपने बिलों के साथ ई0एस0आई0 एवं ई0पी0एफ0 रिटर्न की कॉपी जमा करना अनिवार्य होगा।

20. अप्रत्याशित घटना –

ठेकेदार उन स्थितियों में अनुबन्ध के निष्पादन में देरी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जो उनके नियंत्रण से परे कारणों से उत्पन्न हुयी हों। ऐसी स्थितियों में निर्णय हेतु सम्बन्धित सम्भागीय खाद्य नियंत्रक अधिकृत होंगे।

ठेकेदारों और उनके श्रमिकों/कार्मिकों के बीच किसी भी प्रकार के विवाद के कारण ठेकेदारों के श्रमिकों/कार्मिकों द्वारा की जाने वाली हड़ताल को ठेकेदार के नियंत्रण से बाहर का कारण नहीं माना जाएगा और इससे विभाग को होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति के लिए ठेकेदार उत्तरदायी होगा। इसके अतिरिक्त यदि ठेकेदारों द्वारा किसी तरह की हड़ताल की जाती है अथवा सम्मिलित हुआ जाता है, जिससे विभाग का कार्य प्रभावित हो, तो ऐसी स्थिति में भी विभाग को होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति के लिए ठेकेदार उत्तरदायी होगा।

(प्रेम प्रकाश त्रिपाठी)
अनुभाग अधिकारी,
खाद्य एवं रसद अनुभाग-6,
उत्तर प्रदेश शासन।

21. परिभाषाएँ –

21.1. सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी से तात्पर्य केन्द्रीयपूल के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम द्वारा संचालित विभिन्न गोदामों से निर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न का सीधे उचित दर विक्रेता की दुकान तक परिवहन एवं हैण्डलिंग किये जाने से है।

21.2. भारतीय खाद्य निगम गोदाम का तात्पर्य भा0खा0नि0, सी0डब्लू0सी0, एस0डब्लू0सी0, पी0ई0जी0 एवं समस्त ऐसे बफर गोदाम से है, जहां भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्न संग्रहीत किया गया है।

21.3. सीजनल कार्य का तात्पर्य धान/गेहूँ/मक्का/ज्वार/बाजरा/कोदो आदि के कय केन्द्रों पर किसानों द्वारा विकय हेतु लाये गये उत्पादों की हैण्डलिंग का कार्य।

21.4. पार्टनरशिप फर्म का तात्पर्य पार्टनरशिप एक्ट के अन्तर्गत रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स में पंजीकरण होने तथा कम्पनी का तात्पर्य – कम्पनी एक्ट 1956 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत पंजीकृत होने से है।

21.5. वाणिज्यिक वाहन से तात्पर्य है, जो परिवहन विभाग में वाणिज्यिक (कमर्शियल) कार्य हेतु पंजीकृत हों।

(प्रकाश त्रिपाठी)
अनुभाग अधिकारी,
खाद्य एवं रसद अनुभाग-6,
उत्तर प्रदेश शासन।

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट – I

सम्भाग का नाम :– ....

(तकनीकी बिड)

सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्थान्तर्गत भा0खा0नि0, सी0डब्लू0सी0, एस0डब्लू0सी0/बफर गोदामों व अन्य नियत स्थान से खाद्यान्न/चीनी आदि का उठान करते हुये उचित दर विक्रेताओं की दुकान तक पहुंचाने हेतु हैण्डलिंग एवं परिवहन कार्य का आवेदन।

वित्तीय वर्ष 20.........

नवीनतम पासपोर्ट साइज का स्व प्रमाणित फोटो

1– जनपद का नाम– ....

2– ब्लाक/केन्द्र का नाम– ....

3– निविदादाता का नाम– ....

4– निविदादाता का आधार नम्बर– ....

5– निविदादाता का मोबाइल नं0– ....

6– निविदादाता का ई–मेल– ....

7– निविदादाता के बैंक ....
का नाम, पता, एकाउण्ट नम्बर ....
व आई.एफ.एस. कोड– ....

8– निविदा शुल्क– .... (रसीद अपलोड करें)

9– धरोहर धनराशि– .... (रसीद अपलोड करें)

10–तकनीकी बिड हेतु– संगत अभिलेख/प्रमाण पत्र अपलोड करें

i. पत्र व्यवहार का पता– ....
(प्रमाण पत्र सहित)

ii. स्थायी पता– ....
(प्रमाण पत्र सहित)

iii. स्वयं के ट्रकों व वाणिज्यिक छोटे वाहन के पंजीकरण नम्बर तथा क्षमता –

ट्रकों के पंजीकरण नम्बर एवं क्षमता ....

छोटे वाहन के पंजीकरण नम्बर एवं क्षमता –.....

iv. अनुभव का विवरण ....

v. हैसियत, प्रमाण पत्र संख्या
व निर्गमन का दिनांक– ....

(प्रेम प्रकाश त्रिपाठी)
अनुभाग अधिकारी,
खाद्य एवं ...
उत्तर ...

Scanned with OKEN Scanner

vi. चरित्र प्रमाण पत्र संख्या व
निर्गमन का दिनांक– ....

vii. आयकर विवरणी (जहाँ जो प्राविधान लागू हो के अनुसार)
(आयकर रिटर्न, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एण्ड लॉस एकाउन्ट एवं शिड्यूल, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (जहाँ लागू हो) एवं कम्पनी की दशा में आर0ओ0सी0 रिटर्न) ....

viii. पैन नम्बर– ....

ix. ई.पी.एफ. प्रमाण पत्र संख्या
व निर्गमन का दिनांक – ....

x. ई.एस.आई. प्रमाण पत्र संख्या
व निर्गमन का दिनांक – ....

xi. जी.एस.टी. प्रमाण पत्र संख्या
व निर्गमन का दिनांक– ....

xii. यू0पी0एल0सी0 पंजीकरण संख्या
व दिनांक तथा वैधता दिनांक– ....

xiii. शपथ पत्र – अपलोड करेंगें। (रू0 10/– के स्टाम्प पर)

xiv. घोषणा पत्र – रू 100/– के स्टाम्प पर स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र अपलोड करेगें।

11– मैंने/हमने हैण्डलिंग एवं परिवहन नीति, निविदा की शर्तो/निर्देशों को भली भांति पढ़कर समझ लिया है और मैं/हम इनको स्वीकार करते हुये निविदा दे रहा हूँ/रही हूँ/दे रहे हैं एवं जिसमें मुझे/हमको कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक–..........................

निविदादाता के हस्ताक्षर
पूरा नाम–..............................
पता–..............................
....

मोहर

(... प्रकाश त्रिपाठी)
अनुभाग अधिकारी,
खाद्य एवं रसद अनुभाग-6,
उत्तर प्रदेश शासन।

परिशिष्ट – II

शपथ पत्र

(रू0 10/– के नान जुडीशियल स्टैम्प पर नोटरी द्वारा प्रमाणित)

मैं, शपथी/शपथिनी ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .....
..... उम्र ..... वर्ष निवासी–.....
..... शपथपूर्वक यह घोषणा करता/करती हूँ –

1– यह कि शपथी/शपथिनी शासनादेश संख्या–मु0अ0 34/29–6–2021–85 सा/2017 दिनांक–09.03.2021 (यथा संशोधित), शासनादेश संख्या–878/29–6–2021–85 सा/17 दिनांक–14.06.2021 (यथा संशोधित) तथा शासनादेश संख्या–1555/29–6–2021 दिनांक–03.09.2021 के सुसंगत प्राविधान तथा परिवहन एवं हैण्डलिंग ठेकेदारों हेतु उल्लिखित/निर्धारित समस्त शर्तो को पूरा करता है।

2– यह कि शपथी/शपथिनी स्वयं/पार्टनरशिप फर्म/अथवा कम्पनी के रूप में स्वयं की ..... संख्या एवं ..... क्षमता की ट्रकें एवं छोटे/हल्के वाणिज्यिक वाहन स्वयं के ..... संख्या एवं ..... क्षमता का स्वामित्व रखता/रखती है तथा शपथी/शपथिनी द्वारा इस संबंध में निहित शर्तों को पूर्ण करने का शपथपत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।

3– जनपद–..... ब्लाक–..... का टेण्डर प्राप्त होने के उपरान्त विभाग द्वारा बताये गये विवरण के अनुसार शपथी/शपथिनी द्वारा वांछित किराये के वाहन (उल्लिखित संख्या एवं क्षमता के अनुसार) 15 दिन के भीतर पूर्ण विवरण, अभिलेख एवं किरायेनामे सहित उपलब्ध करा दिया जायेगा। यदि शपथी/शपथिनी द्वारा विभागीय विवरण के अनुसार किराये के वाहन टेण्डर प्राप्ति के उपरान्त 15 दिन के भीतर उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो शपथी/शपथिनी का अभ्यर्थन/टेण्डर/ठेका निरस्त कर दिया जाये, जिसमें मुझे/हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।

4– यह कि शपथी/शपथिनी को यदि भविष्य में विभाग द्वारा किसी भी समय विभागीय आवश्यकतानुसार बड़े/ छोटे/हल्के वाणिज्यिक वाहनों की आवश्यकता बतायी जाती है, तो शपथी/शपथिनी स्वयं/पार्टनरशिप फर्म/अथवा कम्पनी उसे उपलब्ध कराने हेतु बाध्य है, जिसमें मुझे/हमें किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

5– यह कि शपथी/शपथिनी द्वारा पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी के रूप में पार्टनरों एवं सदस्यों की पूर्ण सूचना आवेदन के साथ संलग्न की गयी है तथा शपथी/शपथिनी की पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी नियमानुसार रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स /कम्पनी एक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है एवं सक्षम प्राधिकारी के स्तर से निर्गत रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड/कम्पनी के अभिलेख भी आवेदन के साथ संलग्न हैं। इसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर शपथी/शपथिनी का अभ्यर्थन/ टेण्डर/ठेका निरस्त कर दिया जाये, जिसमें मुझे/हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।

(ओम प्रकाश त्रिपाठी)
अनुभाग अधिकारी,
खाद्य एवं रसद अनुभाग-6,
उत्तर प्रदेश शासन।

Scanned with OKEN Scanner

6– यह कि शपथी/शपथिनी द्वारा पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी के रूप में पार्टनरों एवं सदस्यों में कोई भी परिवर्तन किया जाता है, तो उसे रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स/कम्पनी एक्ट के अन्तर्गत परिवर्तित कराकर, सक्षम प्राधिकारी के स्तर से निर्गत विधिमान्य अभिलेख/प्रमाण–पत्र/डीड सम्बन्धित सम्भागीय खाद्य नियंत्रक को समयान्तर्गत दिये जाने हेतु बाध्य है, यदि समयान्तर्गत शपथी/शपथिनी द्वारा सक्षम स्तर से निर्गत रजिस्टर्ड/विधिमान्य अभिलेख/प्रमाण–पत्र/डीड की सूचना सम्बन्धित अधिकारी को समयान्तर्गत नहीं दी जाती है, तो शपथी/शपथिनी का अभ्यर्थन/टेण्डर/ठेका निरस्त कर दिया जाये, जिसमें मुझे/हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।

7– यह कि शपथी/शपथिनी द्वारा आधार नम्बर, अनुभव प्रमाण–पत्र, हैसियत प्रमाण –पत्र, आयकर विवरणी (निविदा की शर्तों/अर्हता के प्राविधानानुसार आयकर रिटर्न, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एण्ड लॉस एकाउन्ट एवं शिड्यूल, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (जहॉ लागू हो) एवं कम्पनी की दशा में आर0ओ0सी0 रिटर्न), पैन, ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0, जी0एस0टी0 के संबंध में आवश्यक तथा विधिमान्य अभिलेखों को (जो निविदा के शर्तों/अर्हताओं के प्राविधान के अनुसार वांछित हैं) आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया है।

8– यह कि शपथी/शपथिनी द्वारा स्वयं/फर्म के एकल स्वामित्व/भागीदारों/कम्पनी के प्रबंध निदेशक तथा अधिकृत प्रतिनिधियों के स्थायी निवास तथा वर्तमान निवास का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया है।

9– यह कि शपथी/शपथिनी द्वारा प्रचलित शासनादेशों/प्राविधानों के अन्तर्गत कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक तथा अधिकृत व्यक्ति व फर्म के सभी साझीदारों तथा एक स्वामी एवं व्यक्ति के जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है, जो आवेदन की तिथि को वैध/शासन द्वारा अनुमन्य अवधि से अधिक पुराना नहीं है।

10–यह कि यदि शपथी/शपथिनी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों/प्रमाण पत्रों में कोई विसंगति संज्ञान में आती है या किसी भी समय कोई ऐसा तथ्य या विवरण का छिपाया जाना प्रकाश में आता है, तो शपथी/शपथिनी का अभ्यर्थन/टेण्डर/ठेका निरस्त कर दिया जाये, जिसमें मुझे/हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।

11–यह कि आवेदक/शपथी/शपथिनी/व्यक्ति/भागीदार/निदेशक/फर्म/कम्पनी निविदा हेतु निर्धारित समस्त शर्तों को पूर्ण करता/करती है, जिसके गलत होने अथवा पूर्ण न होने पर अभ्यर्थन/टेण्डर/ठेका निरस्त कर दिया जाये, जिसमें मुझे/हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।

(प्रकाश त्रिपाठी)
अनुभाग अधिकारी,
खाद्य एवं रसद अनुभाग-6,
उत्तर प्रदेश शासन।

Scanned with OKEN Scanner

12–यह कि मैं/हम यह भी प्रमाणित करते/करता/करती हूँ कि मेरे/फर्म/कम्पनी कहीं भी ब्लैक लिस्ट नहीं है एवं और न ही मेरे/फर्म/कम्पनी/उसके किसी भी पार्टनर के विरूद्ध किसी भी प्रकार की कोई विधिक कार्यवाही प्रचलन में है। यदि कहीं भी ऐसा पाया जाता है, तो अभ्यर्थन/टेण्डर/ठेका निरस्त कर दिया जाये, जिसमें मुझे/हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।

13–यह कि मैं/हम यह भी प्रमाणित करते/करती हूँ कि ठेका स्वीकृति होने के उपरान्त विभाग द्वारा प्रदत्त ठेके को मेरे/हमारे द्वारा निष्ठापूर्वक सम्पादित किया जायेगा तथा विभाग में नियमानुसार अनुबन्ध एवं प्रतिभूति आदि की समस्त वांछित औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त ही कार्य सम्पादित किया जायेगा। मेरे/हमारे द्वारा ऐसा न करने पर ठेका निरस्त करने का पूर्ण अधिकार विभाग को होगा, जिसपर मुझे/हमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

14– यह कि मैं/हम यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ कि टेण्डर का कार्य मुझे/हमें आवंटित होने पर उसे किसी भी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को "सबलेट" नहीं किया जायेगा।

15– यह कि मैं/हम यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ कि निविदा प्रपत्र में अंकित वाहनों के संचालन हेतु समस्त प्रकार के कर जमा हैं तथा लाइसेंस/अन्य अभिलेख समक्ष प्राधिकारी से प्राप्त है।

16–यह कि मैं/हम प्रमाणित करता/करती हूँ कि मुझे कार्य आवंटन सक्षम स्तर से प्राप्त होने के उपरान्त विलम्बतम 15 दिन के अन्दर समस्त औपचारिकायें पूर्ण कर कार्य प्रारम्भ कर दूँगा/दूँगी।

17–यह कि मैं/हम प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे/हमारे द्वारा टेण्डर में सी0वी0सी0 गाइडलाइनों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।

<u>सत्यापन</u>

मैं शपथी/शपथिनी उपरोक्त सत्यापित करता/करती हूँ कि उपरोक्त शपथ –पत्र की धारा–1 से 16 मेरे निजी ज्ञान व विश्वास से सत्य व सही है, जिसे मैनें आज दिनांक ..... को अपने हस्ताक्षर से तस्दीक किया।

दिनाँक :–

स्थान :–

शपथी/शपथिनी

नोट:– प्रोपराईटरशिप फर्म की दशा में प्रोपराइटर एवं भागीदारी फर्म/कम्पनी होने की दशा में उसके समस्त भागीदारों/निदेशक/सदस्यों द्वारा अलग–अलग शपथपत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

(प्रेम प्रकाश त्रिपाठी)
अनुभाग अधिकारी,
खाद्य एवं रसद अनुभाग-6,
उत्तर प्रदेश शासन।

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट – III

घोषणा पत्र

(रू0 100 /– के नान जुडीशियल स्टैम्प पर नोटरी द्वारा प्रमाणित)

1. यह कि शपथी/शपथिनी शासनादेश संख्या–मु0अ0 34/29–6–2021–85 सा/2017 दिनांक–09.03.2021 (यथा संशोधित), शासनादेश संख्या–878/29–6–2021–85 सा/17 दिनांक–14.06.2021 (यथा संशोधित) तथा शासनादेश संख्या–1555/29–6 –2021 दिनांक–03.09.2021 के सुसंगत प्राविधान तथा परिवहन एवं हैण्डलिंग ठेकेदारों हेतु उल्लिखित/निर्धारित समस्त शर्तें मान्य हैं/होगीं।

2. यह कि शपथी/शपथिनी स्वयं/पार्टनरशिप फर्म अथवा कम्पनी के रूप में टेण्डर में वांछित ..... संख्या एवं ..... क्षमता की ट्रकों तथा ..... संख्या एवं ..... क्षमता के छोटे/हल्के वाणिज्यिक वाहनों का स्वामित्व रखता है तथा शपथी/शपथिनी द्वारा इस सम्बन्ध में निहित शर्तों को पूर्ण करने का शपथ पत्र भी प्रस्तुत कर दिया गया है।

3. जनपद–..... ब्लाक–..... का टेण्डर प्राप्त होने के उपरान्त विभाग द्वारा बताये गये विवरण के अनुसार शपथी/शपथिनी द्वारा वांछित किराये के वाहन (उल्लिखित संख्या एवं क्षमता के अनुसार) 15 दिन के भीतर पूर्ण विवरण, अभिलेख एवं किरायेनामे सहित उपलब्ध करा दिया जायेगा। यदि शपथी/शपथिनी द्वारा विभागीय विवरण के अनुसार किराये के वाहन टेण्डर प्राप्ति के उपरान्त 15 दिन के भीतर उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो शपथी/शपथिनी का अभ्यर्थन/टेण्डर/ठेका निरस्त कर दिया जाये, जिसमें मुझे/हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।

4. यह कि शपथी/शपथिनी द्वारा समस्त वांछित एवं विधि मान्य अभिलेखों को आवेदन पत्र के साथ अपलोड किया गया है।

5. यह कि शपथी/शपथिनी की पार्टनरशिप फर्म ...../कम्पनी .... है, जिसके पार्टनर (पार्टनरशिप फर्म की दशा में) ..../सदस्य (कम्पनी की दशा में) .... हैं। शपथी/शपथिनी की पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी नियमानुसार रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स/कम्पनी एक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है एवं सक्षम प्राधिकारी के स्तर से निर्गत रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड/कम्पनी के अभिलेख भी आवेदन के साथ संलग्न हैं तथा जो टेण्डर के समय वैध है।

6. यह कि शपथी/शपथिनी द्वारा पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी के रूप में पार्टनरों एवं सदस्यों में कोई भी परिवर्तन किया जाता है, तो रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स/कम्पनी एक्ट के अन्तर्गत परिवर्तित कराकर, समक्ष प्राधिकारी के स्तर से निर्गत रजिस्टर्ड/विधिमान्य अभिलेख/प्रमाण–पत्र/डीड की सूचना समयान्तर्गत सम्बन्धित सम्भागीय खाद्य नियंत्रक को उपलब्ध कराये जाने का दायित्व शपथी /शपथिनी का होगा।

(प्रेम प्रकाश त्रिपाठी)
अनुभाग अधिकारी,
खाद्य एवं रसद अनुभाग-6,
उत्तर प्रदेश शासन।

Scanned with OKEN Scanner

7. यह कि शपथी/शपथिनी द्वारा वर्तमान में प्रचलित शासनादेशों के प्राविधानों के अन्तर्गत कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक तथा अधिकृत व्यक्ति व फर्म के सभी साझेदारों तथा एक स्वामी एवं व्यक्ति के जिलाधिकारी कार्यालय के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है, जो आवेदन की तिथि को वैध तथा आवेदन की तिथि से दो वर्ष/शासन द्वारा अनुमन्य अवधि से अधिक पुराना नहीं है।

8. यह कि यदि शपथी/शपथिनी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों/प्रमाण पत्रों में कोई विसंगति संज्ञान में आती है या किसी भी समय कोई ऐसा तथ्य या विवरण का छिपाया जाना प्रकाश में आता है, तो मेरा अभ्यर्थन/टेण्डर/ठेका/आवेदन निरस्त कर दिया जाये, जिसमें मुझे/हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति होगी।

9. यह कि आवेदक/शपथी/शपथिनी/व्यक्ति/भागीदार/निदेशक/फर्म/कम्पनी टेण्डर हेतु निर्धारित समस्त शर्तों को पूर्ण करता है, जिसके गलत होने अथवा पूर्ण न होने पर मेरा अभ्यर्थन/टेण्डर/ठेका निरस्त कर दिया जाये, जिसमें मुझे/हमें किसी प्रकार की कोई आपित्त नहीं होगी।

10. यह कि मैं/हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि ठेका स्वीकृति के उपरान्त विभाग द्वारा प्रदत्त ठेके को मेरे/हमारे द्वारा निष्ठापूर्वक सम्पादित किया जायेगा तथा विभाग में नियमानुसार अनुबन्ध एवं प्रतिभूति आदि की समस्त वांछित अभिलेख एवं औपचारिकतायें निर्धारित समय–सीमा के भीतर पूर्ण करते हुये कार्य सम्पादित किया जायेगा। मेरे/हमारे द्वारा ऐसा न करने पर ठेका निरस्त करने का पूर्ण अधिकार विभाग को होगा, जिसमें मुझे/हमें किसी प्रकार की कोई आपित्त नहीं होगी।

11. हैण्डलिंग एवं परिवहन नीति एवं टेण्डर की शर्तों में वर्णित अनर्हतायें/कोई प्रतिकूल तथ्य मेरे विरूद्ध लागू नहीं है, यदि इनमें से कोई भी प्रतिकूल तथ्य मेरे विरूद्ध सही पाया जाता है, तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा/हमारा होगा तथा विभाग द्वारा मेरा ठेका निरस्त कर दिया जाता है, तो उसमें मुझे/हमें किसी प्रकार की कोई आपित्त नहीं होगी।

दिनांक –

हस्ताक्षर

आवेदक/घोषणाकर्ता

नोटः– प्रोपराईटरशिप फर्म की दशा में प्रोपराइटर एवं भागीदारी फर्म/कम्पनी होने की दशा में उसके समस्त भागीदारों/निदेशक/सदस्यों द्वारा अलग–अलग शपथपत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

(प्रेम प्रकाश त्रिपाठी)
अनुभाग अधिकारी,
खाद्य एवं रसद अनुभाग-6,
उत्तर प्रदेश शासन।

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट – IV

शपथ पत्र

(पूरे प्रदेश में 02 या उससे कम ब्लाकों पर निविदायें डाले जाने सम्बन्धी)

(रू0 10/– के नान जुडीशियल स्टैम्प पर नोटरी द्वारा प्रमाणित)

मैं, शपथी/शपथिनी ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .....
..... उम्र ..... वर्ष निवासी–.....
..... शपथपूर्वक यह घोषणा करता/करती हूँ :–

1– यह कि शपथी/शपथिनी द्वारा पूरे प्रदेश में अधिकतम 02 ब्लाकों पर ही निविदा डाली जा रही है एवं इससे अधिक निविदायें नहीं डाली जायेगी।

2 – यह कि शपथी/शपथिनी द्वारा किया गया कोई आवेदन असफल हो जाने की दशा के पश्चात् भी प्रदेश में केवल अधिकतम 02 ब्लॉकों की सीमा तक ही आवेदन किया जायेगा।

3 – यह कि यह कि शपथी/शपथिनी द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना असत्य पाये जाने की स्थिति में शपथी/शपथिनी का अभ्यर्थन/टेण्डर/ठेका निरस्त कर दिया जाये, जिसमें मुझे/हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।

सत्यापन

मैं शपथी/शपथिनी उपरोक्त सत्यापित करता/करती हूँ कि उपरोक्त शपथ –पत्र की धारा–01 से 02 मेरे निजी ज्ञान व विश्वास से सत्य व सही है, जिसे मैनें आज दिनांक ..... को अपने हस्ताक्षर से तस्दीक किया।

दिनाँक :–
स्थान :–

शपथी/शपथिनी

नोट:– प्रोपराईटरशिप फर्म की दशा में प्रोपराइटर एवं भागीदारी फर्म/कम्पनी होने की दशा में उसके समस्त भागीदारों/निदेशक/सदस्यों द्वारा अलग–अलग शपथपत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

(प्रेम प्रकाश त्रिपाठी)
अनुभाग अधिकारी,
खाद्य एवं रसद अनुभाग-6,
उत्तर प्रदेश शासन।

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट – V

तकनीकी निविदा के परीक्षण हेतु चेक लिस्ट

क्र0	चेक प्वाइन्ट	हाँ/नहीं
01.	यू0पी0एल0सी0 में पंजीकरण	
02.	निविदा मूल्य जमा करने की रसीद	
03.	निविदा दस्तावेज एवं अन्य प्रपत्र हस्ताक्षर युक्त हैं अथवा नहीं	
04.	निविदा दाता का बैंक का विवरण (नाम, पता, खाता संख्या, आई0एफ0एस0 कोड) इत्यादित है अथवा नहीं	
05.	प्रत्येक निविदा में ट्रकों की संख्या भार वाहन क्षमता सहित (विवरण संलग्न है अथवा नहीं)	
06.	ट्रकों, वाणिज्यिक छोटे वाहन के नम्बर, उनके रजिस्ट्रेशन, फिटनेस एवं समस्त प्रकार के अद्यतन टैक्स की रसीद के साथ	
07.	धरोहर धनराशि जमा की स्थिति	
08.	सक्षम प्राधिकारी के स्तर से निर्गत हैसियत प्रमाण पत्र संलग्न है अथवा नहीं	
09.	सक्षम प्राधिकारी के स्तर से निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न है अथवा नहीं **(फर्म/कम्पनी की दशा में सभी सदस्यों/पार्टनरर्स के)**	
10.	आधार कार्ड की प्रति संलग्न है अथवा नहीं **(फर्म/कम्पनी की दशा में सभी सदस्यों/पार्टनरर्स के)**	
11.	कार्य अनुभव का विवरण संलग्न है अथवा नहीं	
12.	टेण्डर की शर्तों में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत आयकर रिटर्न आदि की प्रति निविदा के साथ संलग्न है अथवा नहीं	
13.	टेण्डर की शर्तों में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत बैलेंस शीट, प्रॉफिट एण्ड लॉस एकाउन्ट एवं शिड्यूल (यदि आवश्यकता हो तो)	
14.	टेण्डर की शर्तों में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (जहॉ लागू हो)	
15.	टेण्डर की शर्तों में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत आर0ओ0सी0 रिटर्न (कम्पनी की दशा में) (यदि आवश्यकता हो तो)	
16.	पैन नम्बर की प्रति संलग्न है अथवा नहीं	
17.	टेण्डर की शर्तों में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत ई0एस0ई0 प्रमाण पत्र की संख्या एवं निर्गमन दिनांक	
18.	टेण्डर की शर्तों में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत ई0पी0एफ0 प्रमाण पत्र एवं निर्गमन दिनांक	
19.	जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र संलग्न है अथवा नहीं	
20.	रू0 10/– के स्टैम्प पर निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र (परिशिष्ट – II) संलग्न है अथवा नहीं पि	
21.	रू0 100/– के स्टैम्प पर घोषण पत्र (परिशिष्ट – III) संलग्न है अथवा नहीं	
22.	'ब' श्रेणी ठेकेदारों की स्थिति में शपथ–पत्र (परिशिष्ट – IV) संलग्न है अथवा नहीं	

39

(प्रेम प्रकाश त्रिपाठी)
अनुभाग अधिकारी,
खाद्य एवं रसद अनुभाग-6,
उत्तर प्रदेश शासन।

Scanned with OKEN Scanner

23.	निविदादाता पार्टनरशिप फर्म होने की स्थिति में रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स का पंजीकरण प्रमाण–पत्र संलग्न है अथवा नहीं।	
24.	निविदादाता पार्टनरशिप फर्म होने की स्थिति में पार्टनरशिप डीड संलग्न है अथवा नहीं।	
25.	कम्पनी होने के दशा में कम्पनी रजिस्ट्रेशन का प्रमाण–पत्र संलग्न है अथवा नहीं	

(ओम प्रकाश त्रिपाठी)
अनुभाग अधिकारी,
खाद्य एवं रसद अनुभाग-6,
उत्तर प्रदेश शासन।

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट – VI

वित्तीय बिड हेतु बी0ओ0क्यू0 का सैम्पल प्रारूप

ई–टेण्डर आमंत्रणकर्ता – सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, ... सम्भाग, ... ।		
कार्य – सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी		
निविदा संख्या –	दिनांक–	
निविदादाता का नाम –		ब्लाक का नाम –

PRICE SCHEDULE (SAMPLE FORMAT)

इस BOQ टेम्पलेट को बोलीदाता द्वारा संशोधित/प्रतिस्थापित नहीं किया जाना चाहिए और इसे प्रासंगिक कॉलम भरने के बाद अपलोड किया जाना चाहिए, अन्यथा बोलीदाता इस निविदा के लिए अस्वीकार किए जाने के लिए उत्तरदायी है। बोलीदाताओं को केवल बोलीदाता का नाम और मूल्य दर्ज करने की अनुमति है

क्रम सँख्या	कार्य का विवरण	शिड्यूल दरें	चुने	प्रतिशत
1	2	5		6
1	सिंगल स्टेज परिवहन व्यवस्था के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम डिपो से उचित दर विक्रेताओं तक खाद्यान्न की डोर स्टेप डिलीवरी का कार्य		कम/अधिक	

Scanned with OKEN Scanner

ट्रकें/छोटे–हल्के वाहन उपलब्ध कराये जाने हेतु संलग्न विवरण का प्रारूप

कम सं0	जनपद का नाम	ब्लाक का नाम	ब्लाक का आवंटन	ट्रकों की क्षमता एवं संख्या, जो ब्लाक– ..... हेतु उपलब्ध करायी जानी हैं				छोटे–हल्के वाहनों की भार क्षमता एवं संख्या, जो ब्लाक– ..... हेतु उपलब्ध करायी जानी हैं	
				09 से 12 टन तक	13 से 18 टन तक	19 से 24 टन तक	25 टन से अधिक तक	03 से 06 टन तक	06 से 09 टन से कम भार क्षमता तक वाले वाहन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(ओम प्रकाश त्रिपाठी)
अनुभाग अधिकारी,
खाद्य एवं रसद अनुभाग-6
उत्तर प्रदेश शासन

Scanned with OKEN Scanner

संख्या- 1974/29-6-2022-ई-29-6099/2301/2020

प्रेषक,

दयाराम

अनु सचिव,

उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

1- आयुक्त,खाद्य एवं रसद विभाग,जवाहर भवन, लखनऊ।

2- प्रबन्ध निदेशक,उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम, लखनऊ।

3- समस्त मण्डलायुक्त,उत्तर प्रदेश।

4- समस्त जिलाधिकारी,उत्तर प्रदेश।

खाद्य एवं रसद अनुभाग-6 लखनऊ:दिनांक 01/09/2022

विषय- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत अंतर्राज्यीय संचलन और उठाई धराई तथा प्वाइंट ऑफ सेल उपकरण के माध्यम से बिक्री हेतु अतिरिक्त मार्जिन दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय से संबंधित शासनादेश संख्या-331/29-06-2015-345 सा/12 दिनांक 01-04-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से खाद्य सुरक्षा(राज्य सरकारों की सहायता) नियम, 2015 (अधिसूचना दिनांक 17-08-2015) में निहित व्यवस्थानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत अंतर्राज्यीय संचलन और उठाई धराई मद रू0 65 प्रति कुन्तल तथा प्वाइंट ऑफ सेल उपकरण के माध्यम से बिक्री हेतु अतिरिक्त मार्जिन दर रू0 17 प्रति कुन्तल अनुमन्य कराने का निर्णय लिया गया था।

2- भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 23-05-2022 द्वारा खाद्य सुरक्षा(राज्य सरकारों की सहायता) नियम, 2015 (अधिसूचना दिनांक 17-08-2015) में संशोधन करते हुए अंतर्राज्यीय संचलन और उठाई धराई मद को संशोधित करते हुए रू0 65 प्रति कुन्तल के स्थान पर रू0 70 प्रति कुन्तल तथा प्वाइंट ऑफ सेल उपकरण के माध्यम से बिक्री हेतु अतिरिक्त मार्जिन दर को रू0 17 प्रति कुन्तल से बढाकर रू0 21 प्रति कुन्तल दिनांक 01-04-2022 से निर्धारित की गयीं हैं, जिस पर भारत सरकार द्वारा वितरित खाद्यान्न पर 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जायेगी।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 23-05-2022 में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अंतर्राज्यीय संचलन और उठाई धराई मद तथा प्वाइंट ऑफ सेल उपकरण के माध्यम से बिक्री हेतु अतिरिक्त मार्जिन को दिनांक 01-04-2022 से क्रमशः रू0 65 प्रति कुन्तल के स्थान पर रू0 70 प्रति कुन्तल तथा प्वाइंट ऑफ सेल उपकरण के माध्यम से बिक्री हेतु अतिरिक्त मार्जिन दर को रू0 17 प्रति कुन्तल से बढाकर रू0 21 प्रति कुन्तल की दर से अनुमन्य कराये जाने का निर्णय

Scanned with CamScanner
Scanned with OKEN Scanner

लिया गया है। कृपया तदनुसार अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दया राम)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं रसद विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ।
2- समस्त संभागीय खाद्य नियंत्रक, उ0प्र0।
3- समस्त संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त (खाद्य), उ0प्र0।
4- समस्त जिला पूर्ति अधिकारी, उ0प्र0।
5- समस्त जिला खाद्य विपणन अधिकारी, उ0प्र0।
6- विभागीय आदेश पुस्तिका।

Signed by दया राम
Date: 01-09-2022 15:46:05
Reason: Approved

आज्ञा से,

(दया राम)
अनु सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

पत्रॉकः- 719 /आ0वे0शा0/हैण्ड0पारे0/सूचना-02/2024-25

प्रेषक,

अपर आयुक्त,
खाद्य तथा रसद विभाग,
उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन,
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त सम्भागीय खाद्य नियंत्रक,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊः दिनॉकः 26 फरवरी, 2026

विषयः-कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सप्री स्कीम 2025 (SPREE: Scheme to Promote Registration of Employers/Employees) के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-166/36-6-2026-(2000500) दिनाँक 29.01.2026 के साथ संलग्न क्षेत्रीय निदेशक, क0रा0बी0 निगम, पंचदीप भवन, सर्वोदय नगर कानपुर के पत्र संख्या-21/S-11/11/SPREE/2025 दिनाँक 14.01.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा नगर निगमों तथा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत सभी ठेकेदारों को "सप्री स्कीम 2025" के सम्बन्ध में आवश्यक रूप से अवगत कराते हुए निविदा/ टेण्डर प्रक्रिया के प्रारम्भिक चरण में ही ईएसआईसी पंजीकरण एवं नियमित अंशदान को अनिवार्य शर्त के रूप में सम्मिलित किये जाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत करने हेतु निर्देश दिए गए हैं ।

अतः शासन का उक्त संदर्भित पत्र दिनाँक 29.01.2026 संलग्नको सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः-यथोक्त।

भवदीय

Digitally signed by KAMTA PRASAD SINGH
Date: 25-02-2026 11:01:45

(कामता प्रसाद सिंह)
अपर आयुक्त।

प्रतिलिपिः- वैयक्तिक सहायक, खाद्यायुक्त कैम्प कार्यालय को खाद्यायुक्त महोदय के सादर अवलोकनार्थ।

(कामता प्रसाद सिंह)
अपर आयुक्त।

शीर्ष प्राथमिकता

संख्या-166/36-6-2026-(2000500)

प्रेषक,

डा0 एम0के0 शन्मुगा सुन्दरम्,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

fwd. finance

समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

श्रम अनुभाग-6 लखनऊ; दिनांक: 29-01-2026

विषय: कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्प्री स्कीम 2025 (SPREE: Scheme to Promote Registration of Employers/Employees) के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक क्षेत्रीय निदेशक, क0रा0बी0 निगम, पंचदीप भवन, सर्वोदयनगर, कानपुर के पत्र संख्या-21/S-11/11/SPREE/2025-INSP.CONTRL.-Part(1), दिनांक 14.01.2026 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्प्री स्कीम 2025 की वैधता को 31 जनवरी, 2026 तक विस्तारित किया गया है साथ ही श्रम संहिता 2020 दिनांक 21 नवम्बर, 2025 से लागू किया जा चुका है, जिसके फलस्वरूप असंगठित एवं संविदा श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना अत्यन्त आवश्यक हो गया है।

Sh. Deependra / Sh. Chandramohan / Sh. Mathulal / Mohit

30/1/26

03/2/26

3. अत: उक्त के संबंध में आपसे अनुरोध है कि कृपया क्षेत्रीय निदेशक, क0रा0बी0 निगम, पंचदीप भवन, सर्वोदयनगर, कानपुर के उक्त संलग्न पत्र में किये गये अनुरोध के क्रम में सभी नगर निगमों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को भी ईएसआई अधिनियम के अन्तर्गत व्यापत किये जाने एवं नगर निगमों तथा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत सभी ठेकेदारों को 'स्प्री स्कीम 2025' के संबंध में आवश्यक रूप से अवगत कराते हुए निविदा/टेण्डर प्रक्रिया के प्रारम्भिक चरण में ही ईएसआईसी पंजीकरण एवं नियमित अंशदान को अनिवार्य शर्त के रूप में सम्मिलित किये जाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
Digitally signed by
SHANMUGA SUNDARAM
Date: 29-01-2026
18:09:25
(डा0 एम0के0 शन्मुगा सुन्दरम्)
प्रमुख सचिव

संख्या-166(1)/36-6-2026-(2000500) तद्दिनांक

प्रतिलिपि क्षेत्रीय निदेशक, क0रा0बी0 निगम, पंचदीप भवन, सर्वोदयनगर, कानपुर को उनके पत्र संख्या-21/S-11/11/SPREE/2025-INSP.CONTRL.-Part(1), दिनांक 14.01.2026 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,
Digitally signed by
Girija Pati Dwivedi
Date: 29-01-2026
18:35:21
(गिरिजापति द्विवेदी)
संयुक्त सचिव

कर्मचारी राज बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)

पंचदीप भवन, सर्वोदय नगर, कानपुर – 208005
Panchdeep Bhawan, Sarvodaya Nagar, Kanpur - 208005
Phone: 0512-2217957 Email: ro-up@esic.nic.in
Website: www.esic.nic.in/ www.esic.in

पत्रांक:21/S-11/11/SPREE/2025-INSP.CONTRL.-Part(1)दिनांक : 14-01-2026

सेवा मे,

विशेष सचिव,
श्रम अनुभाग-6 ,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ, 226001

विषय : ईएसआईसी स्प्री स्कीम-2025 के अंतर्गत नगर निगम संविदा कर्मचारियों को दिनांक 31.01.2026 तक अधिसूचित किए जाने तथा निविदा प्रक्रिया में ईएसआई अनुपालन अनिवार्य किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में आपके पत्रांक संख्या 2892/36-6-2025-(2000500) दिनांक 15.12.2025 के संबंध मे अवगत कराना है कि भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के पत्र संख्या P-11/12/Agenda/06/2016-**Revenue-II, Part-2,** दिनांक **03.12.2025** के माध्यम से कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की **स्प्री स्कीम-2025 (SPREE - Scheme to Promote Registration of Employers/Employees)** के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

इस क्रम में यह उल्लेखनीय है कि क्षेत्रीय कार्यालय, ईएसआईसी, कानपुर द्वारा स्प्री स्कीम-2025 की अवधि में अब तक कुल **4889** इकाइयों को कवर किया जा चुका है तथा लगभग **1,37,313 कर्मचारियों** को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत कवर किया जा चुका है ।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, मुख्यालय द्वारा कार्यालय पत्र संख्या P-11/12/Agenda/06/2016-**Revenue-II** दिनांक **31.12.2025** के माध्यम से स्प्री स्कीम-2025 की वैधता को **31.01.2026** तक विस्तारित किया गया है। साथ ही, **श्रम संहिता, 2020** को दिनांक **21.11.2025** से लागू किया जा चुका है, जिसके फलस्वरूप असंगठित एवं संविदा श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना अत्यंत आवश्यक हो गया है।

इस कार्यालय द्वारा समसंख्यक पत्रांक दिनांक **11.11.2025** के माध्यम से सभी नगर निगम में कार्यरत संविदा **कर्मचारियों को भी ईएसआई अधिनियम** के अंतर्गत व्यास करने हेतु अवगत कराया गया था इस सम्बंध मे अनुरोध है कि नगर निगम के अंतर्गत कार्यरत समस्त संविदा कर्मचारियों को स्प्री योजना के अंतगर्त दिनांक **31.01.2026** तक

व्याप्त किए जाने के सम्बंध मे सचिवालय स्तर पर यथोचित आदेश जारी किया जाए, जिससे उन्हें भी ईएसआई योजना के अंतर्गत चिकित्सा, बीमारी, मातृत्व एवं अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त हो सकें।

इसके अतिरिक्त यह भी अनुरोध है कि नगर निगम एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत सभी ठेकेदारों को स्प्री स्कीम-2025 के संबंध में आवश्यक रूप से अवगत कराया जाए तथा **निविदा/टेंडर** प्रक्रिया के प्रारंभिक चरण में ही ईएसआईसी पंजीकरण एवं नियमित अंशदान को अनिवार्य शर्त के रूप में सम्मिलित किया जाए, ताकि भविष्य में किसी भी स्तर पर ईएसआई अनुपालन में कठिनाई उत्पन्न न हो, साथ ही राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और कार्यालयों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों से ठेकेदारों को भुगतान करने से पहले कृपया इस बात पर जोर दिया जाए ।

अतः अनुरोध है कि सामाजिक सुरक्षा के व्यापक हित में उपर्युक्त प्रस्तावों पर विचार करते हुए कृपया आवश्यक आदेश निर्गत करें।

भवदीय,
Digitally signed by
Kalicharan Jha
Date: 14-01-2026
20:38:16
(के सी झा)
क्षेत्रीय निदेशक

प्रतिलिपि : निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवा, उत्तर प्रदेश, सर्वोदय नगर, कानपुर को उनके पत्र संख्या दिनांक ESIC/HQ-UP/नियोजन/259/2025/140 दिनांक 02.01.2026 के संबंध मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित |

वन्दना गुरनानी
भारत सरकार की सचिव
VANDANA GURNANI
Secretary to Govt. of India

सत्यमेव जयते
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
SHRAM SHAKTI BHAVAN
NEW DELHI - 110001

श्रम और रोजगार मंत्रालय
श्रम शक्ति भवन
नई दिल्ली
Tel.: ...
E-mail: ...

DO No. S-11/12/Agenda/06/2016-RevenueII-Part (5) December 3, 2025

Dear Chief Secretary,

As you are aware that Employees Provident Fund Organization (EPFO) and Employees State Insurance Corporation (ESIC), statutory bodies of the Ministry of Labour & Employment provide social security to the covered employees in the form of the Pensions, PF, Medical Care and Cash Benefits.

2. As per ESI Act, 1948 and EPF&MP Act, 1952, the employers are required to register their factories / establishments and the employees' drawing wages within the threshold limits under EPFO /ESIC. However, some of the employers as well as employees might have been left out from the coverage under the EPF / ESI Schemes. To encourage such employers to cover their factories /establishments or uncovered employees under the scheme without any botheration of retrospective coverage and punitive action. **EPFO and ESIC have launched the EES-2025 (Employees Enrollment Scheme) and SPREE (Scheme to Promote Registration of Employers/Employees) respectively, as a one-time opportunity.**

3. Under SPREE, the employers and employees covered during the period will be treated covered from the date declared by them and no records for the period will be asked. The Scheme is open for a period of six months from 1st July 2025 to 31st December 2025. The Employee Enrolment Scheme-2025 is an initiative which allows employers to voluntarily enrol eligible employees who were left out of EPF coverage between 1st July 2017 and 31st October 2025, through a special window open from 1st November 2025 to 30th April 2026.

4. I, therefore, request you to kindly advise all departments and the offices under the State Government that the contractors and contractual staff engaged may be apprised about these Schemes for coverage of the uncovered employees. Further EPF/ESI coverage/compliance in respect of the outsourced employees engaged in these departments and offices may please be insisted before payments are made to the contractors.

With warm regards

Yours sincerely

(Vandana Gurnani)

All Chief Secretaries of States/UTs
(As per list enclosed)

Signature Not Verified
Digitally signed by SRI KRISNA
Date: 2026.03.11 21:04:51 IST
Location: Uttar Pradesh-UP